



झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000

(मॉडल ऐक्ट के अनुरूप यथा संशोधित 2007)

2011 संशोधन सहित

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, इटकी रोड, राँची के सूचना तकनीक कोषांग द्वारा पर्षद के वेबसाइट www.jsamb.nic.in पर जनसाधारण के लिए प्रकाशित
नवम्बर 2011

(मूल स्रोत- 1. मल्होत्रा ब्रदर्स, फ़ेजर रोड पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तक "बिहार कृषि उपज बाजार मैनुअल-2005 संस्करण"

2., झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या 827 प्रकाशन तिथि 6 दिसम्बर, 2008

3, झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या 690 प्रकाशन तिथि 11 अक्टूबर, 2011)

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफ़ेद हाइलाइटड अंश।

झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या 827 दिनांक 6 दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना

अधिसूचना संख्या एल0जी01/2006-77/लेज0 दिनांक 5 दिसम्बर 2008- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित विधेयक जिस पर राज्यपाल दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2007

[झारखण्ड अधिनियम 15, 2008]

झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजारबाजार अधिनियम 2000 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- 1 (i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार संशोधन अधिनियम '2007' कहा जा सकेगा।
- (ii) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000
(झारखण्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट 2000)

[यथा संशोधित 2007]

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम (झारखण्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट), 2000 कहलायगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ- (1) जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में-

(क) 'कृषि उपज' से अभिप्रेत है कृषि, उद्यान-कृषि (बागवानी) बागानी, पशुपालन, वन, रेशम-उत्पादन, मत्स्यपालन की सभी उपज, चाहे वह विधायित (तैयार) हो या अविधायित, विनिर्मित हो या नहीं, और इसके अन्तर्गत अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पशुधन या कुक्कुट, आदि भी हैं।

(ख) 'खेतिहर' से तात्पर्य है ऐसा कोई व्यक्ति, जो साधारणतः स्वयं या अपने काशतकारों या मजूरी पर लगाये गये मजदूरों के जरिये अन्यथा कृषि उपज में या उसकी वृद्धि में लगा हो, किन्तु इसमें कृषि उपज का व्यापारी या दलाल शामिल नहीं है, भले ही ऐसा व्यापारी या दलाल भी कृषि उपज या उसकी वृद्धि में लगा हो;

(खख) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है धारा 33क के अधीन स्थापित झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(ग) 'दलाल' से अभिप्रेत है ऐसा अभिकर्ता (एजेंट) जो कमीशन के प्रतिफलस्वरूप अपने मालिक की ओर से अधिसूचित कृषि-उपज खरीद या बिक्री के लिए केवल बातचीत या संविदा करता हो, किन्तु अधिसूचित कृषि-उपज की खरीद के लिए प्राप्त परिवाद, परिवहन, भुगतान अथवा किसी बिक्री के लिए भुगतान वसूली नहीं करता हो;

(घ) 'उप विधियों' से तात्पर्य है धारा 53 के अधीन बनायी गयी उप-विधियाँ;

(ङ) 'कमीशन अभिकर्ता (एजेंट)' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने मालिक की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अन्तर्गत रकम पर कमीशन या प्रतिफल स्वरूप अपने मालिक की कृषि-उपज अपनी अभिरक्षा में रखता और उसे बेचता हो तथा उसे कृता को देने और मालिक को उसकी कीमत का भुगतान करने के दायित्व के अधीन हो;

(च) 'निदेशक' से अभिप्रेत है बोर्ड का विपणन-निदेशक और इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय निदेशक तथा इस अधिनियम के अधीन निदेशक के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी और ऐसा अन्य पदाधिकारी भी जो निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया हो;

(छ) 'लाइसेंसधारी' से तात्पर्य है ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था अथवा फर्म या कम्पनी जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो;

(ज) 'बाजार' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बाजार-क्षेत्र के लिए स्थापित बाजार और इसमें प्रमुख बाजार यार्ड और एक या अधिक उप-बाजार यार्ड, यदि हों, शामिल हैं;

(झ) 'बाजार क्षेत्र' से तात्पर्य है, ऐसा क्षेत्र जो धारा 4 के अधीन बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित हो;

(ञ) 'बाजार समिति' से तात्पर्य है धारा 6 के अधीन गठित बाजार समिति;

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

(ट) 'खास बाजार (मार्केट प्रोपर)' से तात्पर्य है बाजार क्षेत्र के भीतर का कोई क्षेत्र और इसके अन्तर्गत है मुख्य या उप बाजार प्रांगण (याई) से उतनी दूर तक का कोई क्षेत्र तथा सभी जमीन तथा उस पर बने भवन, जितनी दूरी तक झारखण्ड सरकार अधिसूचना निकाल कर धारा 5 के अधीन खास बाजार के रूप में घोषित करे;

(ट)(i) 'क्षेत्रीय निदेशक' से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन क्षेत्रीय निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कृषि विपणन का क्षेत्रीय निदेशक तथा इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य पदाधिकारी भी है जो क्षेत्रीय निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया हो;

(ii) 'सहायक निदेशक' से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन सहायक निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कृषि विपणन का सहायक निदेशक तथा इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य पदाधिकारी भी है जो सहायक निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया हो;

(iii) 'निदेशक निगरानी' से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन निदेशक निगरानी के सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कृषि विपणन का निदेशक निगरानी तथा इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य पदाधिकारी भी है जो निदेशक निगरानी के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया हो;

(iv) 'उप निदेशक' से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन उप-निदेशक या सहायक निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कृषि विपणन का उप-निदेशक तथा इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य पदाधिकारी भी है जो उप-निदेशक के किसी एक या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया हो;

(ठ) 'मापक' से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति, जिसका काम बिक्री के लिए कृषि उपज के माल की माप करना हो;

(ड) 'नगरपालिका' से तात्पर्य है ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र, जो बिहार-उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम (बिहार एण्ड उड़ीसा म्यूनिसिपल ऐक्ट), 1922 (बि०३० अधिनियम 7, 1922) द्वारा या के अधीन नगरपालिका के रूप में घोषित हो और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 389 (ग) के अधीन गठित कोई अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा नगर निगम भी है;

(ढ) 'विहित' से तात्पर्य है नियमों द्वारा विहित;

(ण) 'प्रधान बाजार याई' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन प्रधान याई के रूप में घोषित किया गया बाजार-क्षेत्र के भीतर का कोई घेरा, भवन या परिक्षेत्र;

(त) 'खुदरा बिक्री' से तात्पर्य है किसी कृषि उपज की अनधिक उतने परिमाण में बिक्री, जितना ऐसी कृषि उपज के सम्बन्ध में उप-विधि या नियम द्वारा नियत हो;

(त)(i) 'बिक्री' से अभिप्रेत है नकद या किसी और मूल्यवान प्रतिफल के बदले वस्तु के रूप में सम्पत्ति का अन्तरण और इसके अन्तर्गत किसी खरीद पर या किसी अन्य स्थानीय प्रचलित पद्धति से, जिसमें मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान किस्तों में किया जाता हो, वस्तु का अन्तरण या अर्जन भी होगा, भले ही बिक्रेता प्रतिफल के भुगतान को मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में या कियी अन्य कारण से वस्तु पर अपना हक बनाये रखे;

स्पष्टीकरण- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाजार क्षेत्र के भीतर या उसके बाहर मालिक के पास से उसके बिक्री एजेंट या आद्वितिया के पास किया गया वस्तु का स्थानान्तरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बाजार क्षेत्र के भीतर की गई बिक्री मानी जाएगी।

(थ) 'नियम' से तात्पर्य है धारा 52 के अधीन बनाए गए नियम;

(द) 'अनुसूची' से तात्पर्य है इस अधिनियम की कोई अनुसूची;

(ध) 'सचिव' से तात्पर्य है धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति और इसके अन्तर्गत स्थानापन्न या कार्यकारी सचिव भी है;

(न) 'उप-बाजार प्रांगण (याई)' से तात्पर्य है खास बाजार के भीतर ऐसा घेरा, भवन या इलाका, जो धारा 5 के अधीन उप-बाजार प्रांगण (याई) रूप के रूप में घोषित हो;

(प) 'सर्वेक्षक' से तात्पर्य है ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका काम विक्रय के लिए कृषि उपज के (भेजे जानेवाले) माल के बारे में किस्म (गुण) रिफेक्शन, अपमिश्रण, और ऐसे अन्य प्रयोजनों से सर्वेक्षण करना है;

(फ) 'व्यापार' से तात्पर्य है कृषि-उपज की खरीद-बिक्री पर किसी प्रकार का पारिश्रमिक;

(ब) 'व्यापारी' से अभिप्रेत है मालिक के रूप में एक अथवा अधिक मालिकों के सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में साधारणतः कृषि-उपज के क्रय-विक्रय के कारबार में लगा व्यक्ति तथा इसमें कमीशन अभिकर्ता (एजेंट) या साधारणतः कृषि-उपज के प्रसंस्करण के कारबार में लगा व्यक्ति भी शामिल है;

(भ) 'तौलक' से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति, जिसका काम बिक्री के लिए कृषि-उपज के माल को तौलना हो;

(म) 'क्रेता या खरीददार' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो कोई कृषि-उपज खरीदता हो या खरीदने के लिए करार करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके अभिकर्ता (एजेंट) या सेवक अथवा कमीशन अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में क्रय करता हो या खरीदता हो;

(य) 'बिक्रेता' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो कोई कृषि-उपज बेचता हो या बेचने का करार करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके अभिकर्ता या सेवक अथवा कमीशन अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में बेचता हो;

(र) 'प्रसंस्कर्ता (प्रोसेसर)' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो अपने मद्दे या खर्च (चार्ज) लेकर किसी कृषि उपज का प्रसंस्करण करे।

(ल) 'निर्यात' से कृषि उत्पाद का भारत से बाहर भेजा जाना अभिप्रेत है।

(व) 'निर्यातक' से कृषि 'उत्पाद का निर्यात करनेवाला' व्यक्ति/फर्म अभिप्रेत है।

(श) 'आयात' से भारत के बाहर से कृषि उत्पाद लाना अभिप्रेत है।

(हिन्दी पाठ)- ...उत्पाद करने वाला- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- **-who exports**

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल०जी०-1/2006-77/लेज०, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल०जी०-1/2006-77/लेज०, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

- (ष) 'आयातक' से भारत के बाहर से कृषि उत्पादों का आयात करनेवाला व्यक्ति/फर्म अभिप्रेत है।
- (स) 'निजी मंडी यार्ड' से आशय बाजार क्षेत्र के मंडी यार्ड/उप मंडी यार्ड से भिन्न ऐसे स्थान से है जहाँ की आधारीक संरचना का विकास और प्रबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हो।
- (ह) 'प्रसंस्करण' से कच्चे कृषि उत्पादन या इसके उत्पादों के उपचार के लिए अपनाई जानेवाली उपचार श्रंखला यथा चूर्ण बनाना, पीसना, भूसा अलग करना, पार बॉयलिंग, पॉलिसिंग, जिनिंग, प्रेसिंग, क्योरिंग या अन्य कोई मैनुअल, यांत्रिक, रासायनिक या भैतिक उपचार में से एक या अधिक उपचार अभिप्रेत है।
- (क्ष) 'प्रसंस्करणकर्ता' से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का कार्य अपनी मर्जी से या भुगतान लेकर करता हो।
- (त्र) 'पंजीयन' से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन किये गये पंजीयन से है।
- (ज्ञ) 'अनुसूचित जातियों' और 'अनुसूचित जन जातियों' से वही अभिप्रेत है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की कमशः खण्ड (24) और (25) में दिया गया है।
- (झ-I) 'परिवहन' से अभिप्राय व्यापार के दौरान कृषि उत्पाद को विपणन के लिए ठेलागाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रक या अन्य वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है।
- (झ-II) 'ट्रान्सपोर्टर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद का परिवहन करता हो।
- (झ-III) 'मूल्य वृद्धि' का अर्थ है- प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग या अन्य क्रियाकलाप जिनकी वजह से कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है।
- (झ-IV) 'बाजारोन्मुख कृषि' का अर्थ कृषक या कृषक समूह द्वारा कृषि उपज के केता के साथ भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे समझौता-पत्र/एकरारनामा/संविदा के आधार पर कृषि कार्य होगा, जिसमें कृषि उपज के सुनिश्चित कय हेतु प्रावधान रहेंगे परन्तु ऐसे प्रावधान किसी भी परिस्थिति में कृषक या कृषक समूह के हित के विरुद्ध नहीं होंगे।
- (झ-V) 'बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा' का कृषि उपज-उत्पादक एवं कृषि उपज-केता के मध्य समझौता/एकरारनामा से अभिप्रेत है।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ खेतिहर अथवा व्यापारी है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न पर निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा, परन्तु निदेशक अपना निर्णय देने के पहले उक्त व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

अध्याय-2

बाजारों और बाजार-समितियों का गठन

3. किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारकरण तथा प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने के आशय की अधिसूचना- (1) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी झारखण्ड सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी कृषि उपज को ऐसे क्षेत्र में, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो खरीद-बिक्री, भंडारकरण तथा प्रसंस्करण को विनियमित करने का अपना आशय घोषित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह बताया जायगा कि इस अधिसूचना में उल्लिखित कम-से-कम दो महीने की अवधि के भीतर झारखण्ड सरकार को जो आपत्ति या सूझाव मिलेगा, उस पर वह विचार करेगी।

4. बाजार क्षेत्र की घोषणा- (1) धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद और ऐसी समाप्ति के पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद तथा यथावश्यक जाँच करने के बाद झारखण्ड सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ धारा 3 के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित किसी या सभी कृषि उपजों के बारे में बाजार-क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो कोई भी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति, उस समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के न होने पर भी बाजार क्षेत्र में या इस निमित्त शाशकीय गजट में अधिसूचित की जाने वाली उसकी दूरी के भीतर इस प्रकार अधिसूचित किसी कृषि उपज की खरीद-बिक्री, भंडारकरण या प्रसंस्करण के लिए कोई स्थान इस अधिनियम, नियमावली और उप-विधियों के अनुसार ही कायम या स्थापित करेगा अथवा बनाये रखेगा या कायम अथवा स्थापित करने या बनाये रखने की अनुमति देगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण- किसी नगरपालिका, अन्य स्थानीय प्राधिकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यह नहीं समझा जायगा कि उसने इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत कृषि-उपज की खरीद-बिक्री, भंडारकरण और प्रसंस्करण के स्थान के रूप में कोई स्थान कायम या स्थापित किया है अथवा बनाये रखा है, यदि बिकेता ऐसे स्थान पर यथाविहित परिमाण में बिक्री के लिए लाई गई कृषि-उपज का स्वयं उत्पादक हो या वह ऐसे उत्पादक द्वारा उसके परिवहन के लिए नियोजित कोई व्यक्ति हो और केता ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी उपज अपने उपयोग के लिए खरीदता हो, अथवा यदि कृषि-उपज ऐसे व्यक्ति के हाथ फुटकर बिक्री द्वारा बेची जाती हो जो ऐसी उपज अपने उपयोग के लिए खरीदता हो।

(3) धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए झारखण्ड सरकार किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा उसमें उल्लिखित किसी क्षेत्र को या कृषि-उपज को बाजार क्षेत्र से अलग रख सकेगी अथवा उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित किसी क्षेत्र या किसी कृषि-उपज को किसी बाजार क्षेत्र में शामिल कर सकेगी।

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

(4) इस अधिनियम की कोई भी बात किसी ऐसे व्यापारी पर न लागू होगी, जिसकी दैनिक या वार्षिक बिक्री की रकम विहित रकम से अधिक न हो।

4क. धारा 39 पर धारा 3 और 4 का लागू नहीं होना- (1) अनुसूची में अभिनिर्दिष्ट किसी कृषि उपज को जोड़कर उसमें संशोधन करने के लिए धारा 39 के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने में धारा 3 और 4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) झारखण्ड सरकार धारा 39 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में किसी भी कृषि पदार्थ को विलापित करने का आदेश प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं देगी।

4ख. उद्ग्रहित एवं संग्रहित बाजार शुल्क का विधिमान्यकरण- किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश इसके विपरीत होते हुए भी, उद्ग्रहित एवं संग्रहित बाजार शुल्क विधिमान्य समझा जायेगा मानो ऐसा उद्ग्रहण और संग्रहण इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया और अधिसूचना संख्या 730, दिनांक 2 मई, 1977 कभी भी जारी की गई नहीं मानी जायेगी तथा कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संग्रहित शुल्क की वापसी के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जायेगी, या जारी नहीं रखी जायेगी और कोई भी न्यायालय वसूले गये शुल्क को चुनौती देनेवाली कोई कार्यवाही नहीं चलायेगा या कोई भी न्यायालय वसूले गये शुल्क अथवा जारी रखा गया उद्ग्रहण शुल्क की वापसी के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा कि अधिसूचना संख्या 730, दिनांक 2 मई, 1977 के जारी किए जाने पर दायित्व समाप्त हो गया है।

5. बाजार प्रांगण (याई) की घोषणा- (1) हर बाजार-क्षेत्र के लिए एक बाजार प्रांगण (याई) होगा और आवश्यकतानुसार एक या अधिक उप बाजार प्रांगण (याई) हो सकेंगे।

(2)(i) झारखण्ड सरकार अधिसूचना द्वारा कृषि उपज या किसी विशेष कृषि उपज के लिए किसी अहाते, भवन या स्थल को मुख्य बाजार प्रांगण और ऐसे क्षेत्र के अन्य अहातों, भवनों या स्थलों को एक या अधिक उप-बाजार प्रांगण घोषित कर सकेगी जो उस बाजार क्षेत्र के लिए आवश्यक हो।

(ii) xxx (विलोपित)

(3) (क) प्रत्येक मंडी क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:-

(i) मंडी समिति द्वारा प्रबंधित मंडी याई।

(ii) मंडी समिति द्वारा प्रबंधित एक या एकाधिक उप बाजार याई।

(iii) मंडी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक निजी बाजार याई/निजी मंडियां।

(iv) मंडी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित एक या एक से अधिक किसान/उपभोक्ता मंडियां।

(ख) प्रत्येक मंडी याई या 'ए' बाजार याई में एक मुख्य बाजार होगा।

(ग) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी बाजार क्षेत्र को "विशेष मंडी" या "विशेष वस्तु मंडी" घोषित कर सकती है।

(4) राज्य सरकार यथासंभव शीघ्र धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा मंडी क्षेत्र में स्थित किसी संरचना, अहाते, खुली जगह, मुहल्ले को मंडी याई या उप मंडी याई, जैसी भी स्थिति हो, घोषित कर सकती है और बाजार क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को यथास्थिति ऐसे बाजार याई या उप बाजार याई से संबद्ध मुख्य बाजार घोषित कर सकती है।

निदेशक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी एक या एक से अधिक मंडी क्षेत्र में निजी याई की स्थापना करके या सीधे कृषक से निम्नलिखित के लिए कृषि उपज खरीदने हेतु लाइसेन्स मंजूर कर सकता है-

(क) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंसकरण के लिए,

(ख) विशिष्ट विनिर्देशन वाले अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने के लिए,

(ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात करने के लिए,

(घ) श्रेणीकरण पैकिंग या अन्य प्रकार के संव्यवहार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य संवर्द्धन के लिए।

उपभोक्ता/ कृषक मंडी यथाविहित आधार संरचना को विकसित कर के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मंडी क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। ऐसे स्थान पर कृषि उपज का उत्पादक स्वयं यथाविहित रीति से अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेच सकता है।

परन्तु उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता-मंडी में 5 किंवटल से ज्यादा सामग्री एक बार में खरीद नहीं किया जा सकता है।

6. बाजार समिति की स्थापना- झारखण्ड सरकार, अधिसूचना द्वारा, हर बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति स्थापित करेगी।

7. बाजार समिति के सदस्यों की संख्या- बाजार समिति में 18 सदस्य होंगे।

8. प्रथम बाजार समिति का गठन- (1) झारखण्ड सरकार प्रथम बाजार समिति के सभी सदस्यों को धारा 9 में उल्लिखित अनुपात में उन व्यक्तियों में से नियुक्त करेगी जो उसी हित का प्रतिनिधित्व करते हों।

¹(हिन्दी पाठ)- ...उक्त- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --sub ²(हिन्दी पाठ)- ...अधिसूचित मार्केट क्षेत्र को मंडी याई या उप मार्केट याई के जोभी हो, मुख्य बाजार घोषित कर सकती है- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --declare in relation to such market yard or sub market yard as the case maybe, any specified area in the market area to be a market proper ³(हिन्दी पाठ)- ...कृषि के- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --agricultural produce ⁴(हिन्दी पाठ)- कृषि उपज का व्यापार (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --export of agricultural produce ⁵(हिन्दी पाठ)- ...उक्त- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --Grading, packing and transaction in other way to be value addition of notified agricultural produce ⁶(हिन्दी पाठ)- ...बेचना है- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --may sell

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

(2) झारखण्ड सरकार जिस अनुमंडल में प्रधान बाजार प्रांगण (यार्ड) अवस्थित है, उसके अनुमंडल पदाधिकारी को प्रथम बाजार समिति का अध्यक्ष और और समिति के एक कृषक प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, प्रथम बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित उसके सदस्यों की पदावधि धारा 13 के अधीन शासकीय गजट में उनके नामों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की होगी, और यदि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर और उसके 6 मास की अवधि के भीतर निर्वाचन नहीं हो पाए, तो समिति समाप्त हो जायगी और इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के उपबन्धों के अधीन समिति की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे झारखण्ड सरकार नामनिर्देशित करे और ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से छः मास के भीतर धारा 9 के अधीन निर्वाचन करा लिया जायगा :

परन्तु यदि किसी अन्यावश्यकता के कारण छः मास के भीतर निर्वाचन न हो सके तो झारखण्ड सरकार निर्वाचन की अवधि और छः मास के लिए बढ़ा सकेगी।

9. द्वितीय और उसके बाद की बाजार समितियों का गठन- (1) हरेक बाजार समिति में निम्नलिखित कोटि के सदस्य होंगे-

(i) विहित रीति से कृषकों के 7 प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए 7 कृषक निर्वाचन क्षेत्र।

(ii) इस अधिनियम के अधीन विहित रीति से अनुज्ञप्त व्यापारियों के दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के निमित्त पूरे बाजार क्षेत्र के लिए दो निर्वाचन क्षेत्र।

(iii) एक उस अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी होगा जिसमें बाजार समिति का मुख्यालय अवस्थित हो, जो झारखण्ड सरकार के हित का प्रतिनिधित्व करेगा।

(iv) इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करनेवाली सहकारी समितियों के दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के निमित्त पूरे बाजार क्षेत्र के लिए दो सहकारी समिति निर्वाचन क्षेत्र।

(v) एक धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त होगा, जो बाजार समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(vi) एक भारतीय स्टेट बैंक, झारखण्ड क्षेत्र/अंचल, द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति होगा।

(vii) एक उस नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्यों के बीच से निर्वाचित व्यक्ति होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर मुख्य बाजार प्रांगण (यार्ड) अवस्थित हो और जहाँ नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति नहीं हो उस ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति से निर्वाचित व्यक्ति होगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर मुख्य बाजार प्रांगण (यार्ड) अवस्थित हो।

(viii) एक जिला परिषद् द्वारा दसके सदस्यों के बीच से नाम-निर्देशित व्यक्ति होगा।

(ix) एक कृषि विभाग द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति होगा।

(x) विधान मंडल के सदस्यों में से झारखण्ड सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विधान मंडल का एक सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बाजार समिति का मुख्य बाजार प्रांगण अवस्थित हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (iii) और (iv) के अधीन निर्वाचित सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में न रह जायगा, यदि वह उस निर्वाचक मंडल का सदस्य या उन व्यक्तियों में से एक न रह जाय, जिनके द्वारा वह निर्वाचित हुआ हो तथा उक्त धारा के खण्ड (vii) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्य की दशा में, यदि उसे उस बाजार-क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाय।

(3) बाजार समिति द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर केवल बाजार समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि रहने के आधार पर ही आपत्ति न की जायेगी।

*** (4) (i) इस अधिनियम के पश्चात राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी बाजार समिति का अध्यक्ष होगा।**

(ii) निर्वाचित बाजार समिति कृषकों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को अपना उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित स्थिति के सिवाय, निर्वाचित बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित उसके सदस्यों की पदावधि धारा 13 के अधीन सदस्यों के रूप में उनके नाम प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी और 3 वर्ष का अवधि समाप्त होने पर और उसके बाद यदि छः महीने के भीतर निर्वाचन नहीं हो पाए, तो समिति समाप्त हो जायेगी और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन समिति की सभी शक्तियाँ एवं कर्तव्य वैसे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तथा निष्पादित किये जायेंगे जिसे झारखण्ड सरकार नाम-निर्देशित करे और ऐसे नाम-निर्देशन की तारीख के छः महीने के भीतर नये बाजार समिति का गठन कर लिया जायेगा :

परन्तु यदि किसी अन्यावश्यकता के कारण छः महीने के भीतर निर्वाचन नहीं हो सके, तो झारखण्ड सरकार निर्वाचन की अवधि और छः महीने के लिए बढ़ा सकेगी।

उप-धारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iv) के अधीन निर्वाचित सदस्य यदि उस निर्वाचन वर्ग का सदस्य नहीं रह जाय जिसके द्वारा वह निर्वाचित हुआ हो, तो वह वैसे सदस्य के पद पर न रह जायेगा। इसी प्रकार उक्त उप-धारा के खण्ड (vii) के अधीन निर्वाचित सदस्य की दशा में, यदि उसे उस बाजार क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाय तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

(6) निर्वाचन सम्बन्धी सभी विषयों को विहित प्राधिकार के समक्ष चुनाव अर्जी पेश करके चुनौती दी जायेगी और इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन के मामले या सम्बन्ध में किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी।

10. सदस्यों की अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति बाजार-समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त होने का पात्र न होगा, जो-

(क) 18 वर्ष से कम उम्र का हो;

(ख) विकृत चित्त का हो;

(ग) बाजार समिति का कर्मचारी हो;

* झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या 690 दिनांक 11.10.2011 द्वारा अन्तःस्थापित

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

- (घ) दिवालिया करार दिये जाने के लिए आवेदन किया हो या अनुव्युक्त दिवालिया हो;
(ङ) जो निम्न किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो चुका हो-

(i) इस अधिनियम या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10,1955) के अधीन; या

(ii) नैतिक दुराचार, जो झारखण्ड सरकार की राय में उसे (व्यक्ति को) बाजार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त होने से अयोग्य बना दे;

(च) जिसे बाजार-समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से होनेवाली किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हिस्सेदार हो।

11. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना- यदि कोई सदस्य अपनी मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने या अन्यथा किसी कारण से अपनी पदावधि पूरी न कर सके, तो इस प्रकार होने वाली रिक्ति की पूर्ति अन्य व्यक्ति के यथास्थिति निर्वाचन या नियुक्ति के जरिए की जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित या नियुक्त व्यक्ति, जिस सदस्य के स्थान में वह निर्वाचित या नियुक्त हो, उसकी पदावधि के उस असमाप्त काल के लिए पद पर रहेगा, जिस समय तक उक्त सदस्य अन्यथा अपने पद पर बना रहता।

12. निर्वाचक मण्डल द्वारा सदस्यों का निर्वाचन न किए जाने पर प्रक्रिया- यदि किसी निर्वाचन में धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) से (iv) और (iv) में उल्लिखित निर्वाचक-मण्डलों में से कोई, रिक्ति होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उक्त खण्डों में निर्दिष्ट सदस्य या सदस्यों का यथास्थिति, निर्वाचन या नियुक्ति न करे अथवा आकस्मिक रिक्ति होने पर धारा 11 के उपबन्धानुसार रिक्ति की पूर्ति न करे, तो झारखण्ड सरकार सम्बद्ध निर्वाचक-मण्डल को लिखित सूचना देगी कि वह उक्त सूचना की तारीख से एक माह के भीतर, यथास्थिति, सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित या नियुक्त अथवा रिक्ति की पूर्ति कर ले, और यदि उक्त निर्वाचक मण्डल इस पर भी उक्त अवधि के भीतर यथास्थिति, सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित या नियुक्त अथवा रिक्ति की पूर्ति न करे, तो झारखण्ड सरकार सम्बद्ध निर्वाचक-मण्डल की ओर से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को यथास्थिति, सदस्य या सदस्यों के रूप में नियुक्त कर लेगी।

13. सरकारी गजट में सदस्यों आदि के नामों का प्रकाशन- झारखण्ड सरकार, धारा 8, 9, 11 या 12 के अधीन नियुक्त या निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और हरेक सदस्य का नाम सरकारी गजट में प्रकाशित करायेगी।

14. बाजार-समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना- (1) झारखण्ड सरकार यथोचित समझे तो बाजार समिति की, उसके कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित या नियुक्त बाजार-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि झारखण्ड सरकार की राय में ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों के पालन में अवहेलना या कदाचार अथवा किसी लज्जाजनक आचरण का दोषी हो, अथवा यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य-पालन के योग्य न रह गया हो:

परन्तु बाजार-समिति किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने की सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव तब तक पास न करेगी जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को स्पष्ट करने का अवसर न दिया जाय कि उसके विरुद्ध ऐसी सिफारिश क्यों न की जाय।

(6) उपधारा (1) के अधीन झारखण्ड सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

15. कृषि-उपज की बिक्री- (1) कोई भी व्यक्ति इस निमित्त खुदरा बिक्री या व्यक्तिगत उपभोग के लिए विहित मात्रा को छोड़कर धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपज बाजार-क्षेत्र के भीतर स्थापित सम्बद्ध मुख्य बाजार प्रांगण अथवा उप-बाजार प्रांगण या प्रांगणों से भिन्न किसी स्थान पर न लगायेगा और न बेचेगा।

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी भी अधिसूचित कृषि उपज, जो निजी बाजार यार्ड /निजी मंडी /किसान /उपभोक्ता मंडी में खरीद बिक्री पर लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कृषि उपज की बिक्री और खरीद किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसी श्रेणियों या बर्णनों की उपज के सिवाय, जिन्हें बोर्ड द्वारा छूट दी जाए, खुले नीलाम या निविदा (टेन्डर) पद्धति के जरिये की जायेगी।

16. यथाविहित व्यापारिक बट्टे से भिन्न व्यापारिक बट्टे पर रोक- कोई भी व्यक्ति किसी बाजार क्षेत्र में सम्बद्ध कृषि उपज के संव्यवहार (सौदा) में नियमावली या उपविधियों द्वारा विहित बट्टे से भिन्न कोई व्यापारिक बट्टा न देगा और न वसूल करेगा, तथा कोई न्यायालय ऐसे किसी संव्यवहार (सौदा) से उत्पन्न किसी वाद या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यापारिक बट्टे पर न विचार करेगा और न स्वीकृत करेगा; जो इस प्रकार विहित न हो।

स्पष्टीकरण- जब खरीद बानगी के जरिए की जाए तब बानगी से फर्क पड़ने के कारण या जब खरीद किसी ज्ञात मानक के हवाले पर की जाए तब मानक से फर्क पड़ने के कारण या धारक (container) के वास्तविक और मानक वजन के बीच अन्तर पड़ने के कारण या बाह्य वस्तुओं के सम्मिश्रण के कारण जो कटौती की जाए उससे भिन्न कटौती इस धारा के प्रयोजनार्थ व्यापारिक बट्टा माना जायेगा।

अध्याय-3

बाजार-समिति का निगमन, इसके उद्देश्य, शक्ति और कर्तव्य

17. बाजार-समिति का निगमन- हरेक बाजार समिति एक निगम निकाय होगी और उसका वह नाम होगा, जो झारखण्ड सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करे। उसे शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा विहित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने तथा ऐसी किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लगाने, बेचने या अन्यथा हस्तान्तरित करने की शक्ति होगी;

वह (समिति) उक्त नाम से वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा और वह नियमावली, उपविधियों तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन प्रयोजनों के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होगी जिनके लिए उसकी स्थापना की जाय।

17.क बाजार-समिति का कार्य अविधिमाम्य नहीं किया जाएगा- किसी बाजार समिति का या उसकी किसी उप-समिति का अथवा उसके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन पदाधिकारी या सचिव के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का कार्य ऐसी बाजार समिति, उप-समिति, सदस्य,

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्ड अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन पदाधिकारी या सचिव की नियुक्ति अथवा गठन में मात्र कुछ त्रुटि के कारण या इस आधार पर कि वे या उनमें से कोई एक ऐसे पद के लिए निरहित थे या बाजार समिति या उप-समिति की बैठक बुलाने के आशय की औपचारिक सूचना सम्यक रूप से नहीं दी गई थी

या ऐसे कार्य ऐसी बाजार समिति या उप-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव अथवा सदस्य के पद पर कोई रिविज रहने के दौरान किया गया था या मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करने वाली अन्य अनौपचारिकता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

18. बाजार समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य- (1) बाजार समिति का कर्तव्य इस अधिनियम, नियमावली तथा उसके अधीन बनायी गयी उप-विधियों को बाजार क्षेत्र में कार्यान्वित करना, बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित सुविधाएँ प्रदान करना और ऐसे अन्य कार्य करना होगा जो बाजार के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में या बाजार-क्षेत्र के किसी स्थान पर कृषि-उपज का विपणन विनियमित करने के लिए तथा पूर्वोक्त विषयों से सम्बद्ध विषयों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, और उनके प्रयोजनार्थ बाजार समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जैसा इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(2) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बाजार समिति-

(i) जब झारखण्ड सरकार ऐसी अपेक्षा करे तब सम्बद्ध कृषि उपज की खरीद-बिक्री के सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित सुविधाएँ देने के निमित्त बाजार क्षेत्र के लिए बाजार लगाना;

(ii) जहाँ बाजार उप-खण्ड (i) के अधीन सम्बद्ध कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारकरण या कुटाई-पिसाई में लगे व्यक्तियों या फर्म सहित बाजार-क्षेत्र में कियाशील व्यापारियों, दलालों, पल्लेदारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भण्डारगारियों तथा अन्य व्यक्तियों को नियम के अनुसार अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) देने के लिए किया गया हो;

(iii) इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनी नियमावली और उपविधियों के अनुसार खेतिहरों और लाइसेन्सधारियों के हित में मुख्य बाजार प्रांगण और उप बाजार प्रांगण को बनाये रखना और उनका प्रबन्ध करना तथा बाजार को नियंत्रित, विनियमित और चलाते रखना;

(iv) लाइसेन्सधारियों के बीच आपस में और उनके तथा कृषि उपज के बिक्रेता के रूप में बाजार का उपयोग करनेवाले व्यक्तियों के बीच होने वाले मतभेदों, विवादों, दावों आदि से सम्बन्धित सभी विषयों में विहित रीति से मध्यस्थ, विवाचक या सर्वेक्षक का काम करना;

(v) प्रधान बाजार यार्ड या उप-बाजार यार्ड अथवा यार्डों में व्यक्तियों के प्रवेश और गाड़ियों के यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना, बाजार के उपयोग की शर्त अवधारित करना और बाजार क्षेत्र में विधिमान्य लाइसेन्स के बिना व्यापार करने वाले व्यक्तियों की जाँच और अभियोजन करना;

(vi) समिति की ओर से या अन्यथा बोर्ड के निदेशानुसार किसी विषय के सम्बन्ध में कोई वाद, कार्रवाई या कार्यवाही, आवेदन या विवेचन लाना, चलाना या प्रतिवाद करना अथवा उसके लाने, चलाने या प्रतिवाद करने में सहायता देना;

(vii) इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमावली और उप-विधियों को प्रवृत्त करना; और

(viii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम, नियमावली या उप-विधियों द्वारा उनके अधीन उसपर आरोपित की या उसे सौंपी जाय।

19. उप-समिति या संयुक्त समिति की नियुक्ति- (1) बाजार-समिति अपने सदस्यों में से और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से बाहरी व्यक्तियों से एक उप-समिति या संयुक्त समिति नियुक्त कर सकेगी और उसे अपनी ऐसी शक्तियाँ या कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सौंप सकेगी जिन्हें वह उचित समझे।

(2) बाजार-समिति, उप-समिति या संयुक्त समिति के किसी निर्णय को पुनरीक्षित कर सकेगी।

20. बाजार-समिति के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनका वेतन- (1) हर बाजार-समिति में एक सचिव (सेक्रेटरी) रहेगा जिसे झारखण्ड सरकार या बोर्ड विहित शर्तों और बन्धनों पर नियुक्त करेगी।

(2) झारखण्ड सरकार या बोर्ड सुचारु रूप से बाजार चलाने के लिए अभियन्ताओं की नियुक्ति और ऐसी टेक्निकल सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(3) बाजार-समिति, अपनी सकल आय का अधिक-से-अधिक चालीस प्रतिशत या जो झारखण्ड सरकार निर्धारित करे, उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित सेवाएँ बनाये रखने तथा अंकेक्षण के खर्च मद्दे लगाएगी।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के उपबन्धों तथा नियमावली और उप-विधियों के अधीन रहते हुए, बाजार-समिति उतने अन्य पदाधिकारियों और सेवकों को नियोजित कर सकेगी और ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों को उतना वेतन दे सकेगी, जितना बोर्ड मंजूर करे।

(5) झारखण्ड सरकार या बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाजार-समिति अपने पदाधिकारियों और सेवकों में से किसी के मामले में उसे यथोचित छुट्टी-भत्ते, पेंशन या उपादान देने का उपबन्ध कर सकेगी। साथ ही वह भविष्य निधि के सृजन और व्यवस्था का उपबन्ध कर सकेगी ताकि पदाधिकारियों और सेवकों को उसमें अंशदान करने के लिए बाध्य किया जा सके। वह ऐसे अंशदान को बाजार-समिति निधि से अनुपूर्ति करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

21. समिति के पदाधिकारियों और सेवकों की शक्ति और कर्तव्य- बाजार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, अभियन्ता और अन्य पदाधिकारी तथा सेवक उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा बाजार-समिति या नियमावली अथवा उप-विधियों द्वारा उनपर आरोपित किये या उन्हें सौंपे जाएं।

22. बाजार समिति के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व- (1) अध्यक्ष समिति के नाम से सभी पत्राचार करेगा और वह सभी अभिलेखों तथा लेखाओ के रख-रखाव, सभी विहित रिपोर्टों और लेखाओं के सही ढंग से तथा समय पर उपस्थापन और सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा न किए गये सभी धनों के अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) वह एक वृत्त पुस्त रखेगा, जिसमें समिति की हर बैठक की कार्यवाहियाँ उसके हस्ताक्षर से दर्ज की जायेगी।

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

23. बाजार समिति की बैठकों का सभापति- अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बाजार-समिति की हर बैठक का सभापतित्व करेगा और जब वे दोनों अनुपस्थित हों, तब उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को उस बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुन लेंगे।

24. निर्णय बहुमत से होगा- (1) अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर बाजार-समिति के सामने आनेवाले हरेक विषय का निर्णय मतदान द्वारा और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

(2) मत-साम्य की दशा में, बैठक का सभापति द्वितीय या निर्णायक मत देगा।

25. बैठक का कोरम- बाजार समिति की बैठक का कोरम सात सदस्यों से मिल कर बनेगा।

26. अध्यक्ष द्वारा दिये गए आदेश के विरुद्ध अपील- यदि बाजार समिति का धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी या सेवक अध्यक्ष द्वारा दिए गए पदोन्मुखित, हटाये जाने या बर्खास्तगी के आदेश से क्षुब्ध हो, तो वह बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पास अपील कर सकेगा और बाजार-समिति उसके बाद ऐसे किसी आदेश को सम्पुष्ट, रूपभेदित या रद्द कर सकेगी अथवा यथोचित आदेश दे सकेगी।

27. (1) प्रत्येक मंडी समिति शुल्क का उद्ग्रहण करेगी:-

(i) अधिसूचित कृषि उपज चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में लाई गयी हो के कय-बिकय पर ¹ और

(ii) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए लाई गयी हो;

²बाजार शुल्क विहित रीति से प्रत्येक एक सौ रुपये मूल्य पर एक* रुपये की दर से उद्ग्रहित की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किया गया मंडी शुल्क राज्य के किसी बाजार क्षेत्र में दूसरी बार उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा, बशर्ते कि राज्य की किसी मंडी में उस कृषि उपज पर पहले ही बाजार शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो तथा इस आशय की सूचना कि दूसरे बाजार में बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, संबंधित व्यक्ति द्वारा विहित रीति से दिया जा चुका हो।

(ii) किसी बाजार क्षेत्र में एक से अधिक बार मंडी शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा, अगर कृषि उपज व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक व्यवहार की प्रक्रिया में या उपभोक्ताओं को पुनः बेची जाती है, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाय, इस आशय की सूचना दे दी गयी हो कि इस पर देय बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

(3) यदि केता या प्रसंस्कर्ता ने धारा 54 के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र (परमिट) ³प्रस्तुत नहीं किया है तो वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण के लिए मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मंडी शुल्क यथास्थिति केता या प्रसंस्करण-कर्ता द्वारा, मंडी समिति के कार्यालय में चौदह दिनों के भीतर लेकिन बिकय या ⁴पुनर्बिकय या प्रसंस्करण, मंडी क्षेत्र के बाहर निर्यात से पूर्व जमा किया जायेगा।

परन्तु यदि यह पाया जाय कि अधिसूचित कृषि उपज, ऐसी उपज पर देय बाजार शुल्क के भुगतान के बिना ⁵प्रसंस्कृत की गयी, बिकी या पुनर्बिकी की गयी या बाजार क्षेत्र के बाहर भेज दी गयी है तो मंडी शुल्क यथास्थिति प्रसंस्कृत कृषि उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पाँच गुने के हिसाब से उद्ग्रहित तथा वसूल किया जायेगा।

(4) मंडी शुल्क अधिसूचित कृषि उपज के केता द्वारा संदेय होगा और बिकेता को संदेय कीमत में से नहीं काटा जायेगा।

परन्तु जहाँ किसी अधिसूचित कृषि उपज का केता पहचाना न जा सके, वहाँ समस्त शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने उस उपज को बेचा हो या जो उपज को मंडी क्षेत्र में बिकय के लिए लाया हो।

परन्तु यह और कि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार की दशा में मंडी शुल्क बिकेता द्वारा संग्रहित किया जायेगा तथा संदत्त किया जायेगा।

(5) बाजार कर्मी, जैसा कि मंडी समिति उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करे बिकय तथा कय या प्रसंस्करण या मूल्य संवर्द्धन से संबंधित लेखे अपेक्षित प्रारूपों में रखेंगे तथा मंडी समिति को ऐसी नियतकालीन विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित की जाए।

(6) मंडी यार्ड/ उप मंडी यार्ड में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर मंडी समिति ऐसी दर से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवेश शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी।

27. क- कय-बिकय का लेखा और बाजार फीस का निर्धारण- (1) हरेक बाजार समिति में विहित रीति से फीस निर्धारण और उद्ग्रहण करने हेतु ¹(हिन्दी पाठ)- ...।(पूर्ण विराम)-(प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --; and ²(हिन्दी पाठ)- ...प्रस्तुत किया-(प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --has not been submitted ³(हिन्दी पाठ)- ...बाजार शुल्क दो रुपये की दर के अन्वयगत रहते हुए नियत की जाय, विहित रीति में शुल्क का उद्ग्रहण करेगी।-(प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --The market fee will be levied at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed. ⁴(हिन्दी पाठ)- ...पुनर्बिकेता-(प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- --resale ⁵(हिन्दी पाठ)- ...प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, बेच दी गई है या पुनः बेच दी गयी है-(प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- -- have been processed, sold or resold or dispatched outside the market area

* झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या 690 दिनांक 11.10.2011 द्वारा अन्तःस्थापित

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1.संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

एक शुल्क निर्धारण उप-समिति रहेगी जिसमें बाजार-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव रहेंगे।

(2) हरेक अनुज्ञापित (लाइसेन्स) प्राप्त व्यापारी और धारा 42 के अधीन छूट प्राप्त हरेक व्यापारी प्रत्येक महीने के अन्त के 15 दिनों के भीतर बाजार समिति के सचिव या बोर्ड द्वारा सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी के समक्ष फारम 'क' में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें कृषि उपज के हरेक संव्यवहार के अन्तर्गत की गई खरीद-बिक्री दिखाई रहेगी।

(3) उप-समिति फारम 'ख' में एक रजिस्टर रखेगी जिसमें व्यापारियों द्वारा कय-विकय और उनसे वसूली गई फीसों दिखाई जायेंगी।

(4) उप-समिति उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर धारा 27 के अधीन देय फीस उद्ग्रहित करेगी।

(5) यदि कोई व्यापारी उप-धारा (2) में यथाविहित विवरणी प्रस्तुत नहीं करे या उप-समिति को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी कोई विवरणी गलत है, तो वह सम्बद्ध व्यापारी को फारम 'ग' में नोटिस देगी, जिसमें उससे अपेक्षा की जायगी कि उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय एवं स्थान पर स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए हाजिर हो और कोई ऐसा लेखा या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करे या कराये जिसपर ऐसा व्यापारी ऐसी विवरणी के समर्थन के लिए निर्भर करता हो।

(6) उप-समिति, नोटिस में तारीख को या इसके बाद यथासाध्य शीघ्र व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों और अन्य साक्ष्य जिसे उप-समिति लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर मांग सकेगी, को जाँच करने के बाद, व्यापारी से उद्ग्रहणीय बाजार फीस की रकम निर्धारण की कार्यवाही करेगी।

(7) यदि कोई व्यापारी विवरणी प्रस्तुत करने में उप-धारा (5) के अधीन दी गई नोटिस के सारे निबन्धनों का पालन नहीं करे या यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे और अन्य साक्ष्य उप-समिति के विचार में पूर्ण या आंशिक रूप से गलत, अधूरे या अविश्वसनीय हों तो उप-समिति अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यापारी से उद्ग्रहणीय बाजार-फीस की रकम निर्धारित करेगी।

(8) उप-समिति द्वारा ऐसे आदेश दिये जाने पर व्यतिक्रमी व्यापारी उप-धारा (7) के अधीन उद्ग्रहित फीस के बराबर तक शास्ति का भुगतान करने का भागी हो सकेगा।

(9) विवरणी प्रस्तुत करने में आभ्यासिक व्यतिक्रम और मिथ्या विवरणी का आभ्यासिक रूप से प्रस्तुत किया जाना लाइसेन्स के निलम्बन या रद्दीकरण या उसका नवीकरण अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार होगा और इस धारा का उपबन्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के अधीन या बाजार-समिति के किसी उप-विधि या आदेश द्वारा किसी व्यापारी पर आरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन न करने या त्रुटिपूर्ण अनुपालन पर इस पर लागू किसी अन्य विधिक शास्ति या अन्यथा के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में लागू होगा।

(10) उप-धारा (7) के अधीन किया गया निर्धारण और उप-धारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश फारम 'घ' में एक मांग-सूचना के जरिए उसे संसूचित किया जायेगा और व्यापारी को उसके द्वारा एक लिखित आवेदन किए जाने और बाजार-समिति को प्रतिलिपिकरण- फीस के रूप में दो रुपये दिये जाने पर उसकी प्रति दी जायगी। उप-समिति प्रतिलिपि-फीसों का एक रजिस्टर रखेगी।

(11) बाजार समिति के कार्यलय में प्रतिलिपि तैयार की जायेगी और यह सचिव द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जायेगी। ऐसे प्रमाण-पत्र पर आवेदन प्राप्त होने, प्रतिलिपि तैयार की जाने तथा आवेदक को दी जाने की तारीख दी रहेगी और यह तारीखों की शुद्धता के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगी।

27 कक. यदि फीस निर्धारण उप-समिति को प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति का समाधान हो जाय कि उसे विश्वास करने का समुचित आधार है कि किसी व्यापारी द्वारा किसी अवधि में किये गये बिक्री या खरीद सम्बन्धी संव्यवहार की किसी रकम पर किसी कारणवश फीस निर्धारण नहीं हो पाया है अथवा धारा 27-क के अधीन किसी व्यापारी पर कम फीस निर्धारण किया गया है या उससे कोई गलत कटौती कर ली गई है तो फीस निर्धारण उप-समिति-

(क) ऐसी अवधि समाप्त होने के छः वर्षों के भीतर यदि उसे ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी ने बिक्री या खरीद सम्बन्धी संव्यवहार की अपनी कुल रकम के व्यौरों को छिपाया है, छोड़ दिया है या उन्हें पूरा-पूरा प्रकट नहीं किया है अथवा अपने संव्यवहार का गलत व्यौरा प्रस्तुत करके वास्तविक रकम से कम के आकड़े प्रस्तुत किए हैं;

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी अवधि समाप्त होने के चार वर्षों के भीतर फीस निर्धारण उप समिति व्यापारी पर फारम 'क' में एक सूचना तामील करेगी, जिसमें किसी सूचना में शामिल की जा सकने वाली सभी अपेक्षाएं दी रहेगी और उसके बाद ऐसे व्यापारी द्वारा की गई खरीद-बिक्री की रकम के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा देय फीस की रकम निर्धारित या पुनर्निर्धारित करने की कार्यवाही करेगी।

27 ख. अपील- (1) निर्धारण पर पारित आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति सम्बद्ध क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, कृषि विपणन के पास अपील कर सकेगा।

(2) धारा 27-क की उप-धारा (7) के अधीन पारित फीस निर्धारण के विरुद्ध या धारा 27-क (8) के अधीन पारित शास्ति आदेश के विरुद्ध या धारा 27कक के अधीन फीस निर्धारण के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तबतक ग्रहण नहीं की जायेगी जबतक कि अपीली प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाय कि अपीलकर्ता ने बाजार समिति के पास निम्नलिखित जमा कर दिया है-

(क) धारा 27-क की उप-धारा (7) या धारा 27-कक के अधीन फीस निर्धारण आदेश और बाजार फीस के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील की दशा में, उसके द्वारा सोध्य के रूप में निर्धारित फीस की एक तिहाई रकम या स्वीकृत रकम जो भी अधिक हो।

(ख) धारा 27-क की उप-धारा (8) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में उसके द्वारा सोध्य शास्ति का दस प्रतिशत।

(ग) इस धारा के अधीन हरेक अपील मांग-सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर फाईल कर दी जायेगी।

27 ग. अपील, पुनरीक्षण और अभिलेख जाँच की शक्ति- (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याधीन धारा 27-ख की उप-धारा (1) के अधीन अपील पर पारित कोई आदेश आवेदन करने पर बोर्ड के प्रबंध निदेशक द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा बशर्त कि ऐसा आवेदन, आदेश पारित होने के 45 दिनों के भीतर फाईल किया जाय।

(2) बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख, जिसमें किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश दिया गया हो ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, मंगाकर जाँच कर सकेगा और अभिलेख की परीक्षा तथा ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने या करवाने के बाद ऐसा आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश व्यापारी और उस प्राधिकारी को, जिसके आदेश की समीक्षा या पुनरीक्षण किया जानेवाला हो, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं पारित किया जायेगा।

(4) बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।

28. उधार लेने की शक्ति- (1) कोई बाजार-समिति, झारखण्ड सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसी समिति में निहित या उसकी किसी सम्पत्ति की और इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा लगाई जानेवाली किसी फीस की जमानत पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित धन उगाह सकेगी।

(2) कोई बाजार समिति बाजार स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि, भवन और साज-सामान पर होने वाला प्रारम्भिक खर्च पूरा करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 (सं0 23, 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सब सीडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 (सं0 38, 1959) में यथा परिभाषित किसी समनुबन्दी बैंक या बैंकिंग कम्पनीज (एक्विजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) ऐक्ट, 1970 (सं0 5, 1970) की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट बैंक या किसी ऐसे निगमित निकाय जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई भी कम्पनी हो जिसमें समादेश शेयर-पूँजी का कम-से-कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार द्वारा धारित हो, से कर्ज प्राप्त कर सकेगी।

(3) शर्तें जिनके अध्वधीन ऐसा धन या कर्ज जुटाया या प्राप्त किया जायेगा और वह समय जिसमें वह वापस किया जायेगा, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के अध्वधीन होगा।

29. बाजार-समिति-निधि- बाजार समिति द्वारा प्राप्त सभी धन एक निधि में डाल दिये जायेंगे, जो बाजार-समिति-निधि कहलायेगी। इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनार्थ बाजार-समिति द्वारा किया जाने वाला सभी खर्च उक्त निधि से किया जायेगा और ऐसा खर्च पूरा करने के बाद बाजार-समिति के पास जो धन रह जाय, उसे इसके लिए यथाविहित रीति से लगा दिया जायेगा।

30. बाजार समिति-निधि का लगाया जाना- धारा 29 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, बाजार-समिति निधि केवल निम्नांकित प्रयोजनों में ही लगायी जा सकेगी-

(1) बाजार के लिए किसी स्थल या स्थलों का अर्जन;

(2) बाजार का रख-रखाव और उसका सुधार;

(3) मानक बाटों का उपबन्ध और रख-रखाव;

(4) बाजार के प्रयोजनार्थ और उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक भवनों, बाजार द्वार और अन्य फिक्सचर का निर्माण और मरम्मत;

(5) समिति द्वारा नियोजित पदाधिकारियों और सेवकों का वेतन, पेंशन, छुट्टी-भत्ते, उपादान, दुर्घटना-जन्य आघातों के लिए प्रतिकार अनुकम्पा भत्ते तथा उनके छुट्टी-भत्ते, पेंशन या भविष्य निधि मद्दे अंशदान;

(6) बाजार विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज का भुगतान और ऐसे ऋणों के लिए निक्षेप-निधि का अपबन्ध;

(7) निर्वाचन में या उसके प्रासंगिक खर्च;

(8) ऐसे संचार साधनों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव जो बाजार के विकास के लिए या उसका उपयोग करने वालों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लाभप्रद हो;

(8क) सम्बन्धित बाजार समिति के क्षेत्र में किसानों को गाँव तक आने-जाने के लिए मुख्य सड़क से सम्पर्क सड़क की व्यवस्था, विकास निधि से प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी;

(9) बृक्षारोपण और उनका पालन तथा बाजार आनेवाले व्यक्तियों और मवेशियों के लिए जल और इसी तरह के प्रयोजनों की व्यवस्था;

(10) निदेशक या बोर्ड द्वारा इसके लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी अन्य पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी से ऐसा कोई अन्य प्रयोजन, जिसपर बाजार-निधि से खर्च करना लोक-हित में हो;

(11) बाजार समिति के सदस्यों के लिए यथाविहित यात्रा और अन्य भत्ते; और

(12) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित कोई अन्य प्रयोजन।

31. संविदाओं का निष्पादन- (1) बाजार समिति द्वारा की जानेवाली हर संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) लिखित रूप में होगी और वह बाजार-समिति की ओर से उसके अध्यक्ष और समिति के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) उप-धारा (1) में उपबन्धित रीति से की गई संविदा से भिन्न कोई संविदा बाजार-समिति पर बाध्यकारी न होगा।

31क. जाँच चौकियां (चेक-पोस्टों) की स्थापना- बाजार समिति बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन बाजार फीस के अपवंचन को रोकने और बाजार को नियंत्रित, विनियमित और चलाने की दृष्टि से बाजार क्षेत्रों के किसी स्थान पर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जाँच चौकियां, बाजार द्वारों (गेटों) और अन्य फिक्सचरों की स्थापना और निर्माण कर सकेगी।

31ख. लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्राहण करने की शक्ति- (1) बाजार समिति के सचिव, अथवा बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या बाजार समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत बाजार समिति या बोर्ड का कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक, निदेशक निगरानी एवं क्षेत्रीय निदेशक किसी भी तरह की कृषि-उपज का कारबार करनेवाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी कृषि-उपज के स्टॉक या उसके द्वारा ऐसी कृषि उपज की खरीद बिक्री या या डिलिवरी से सम्बन्धित दस्तावेज तथा जानकारी और उसके द्वारा बाजार-फीस के भुगतान से सम्बन्धित कोई अन्य जानकारी भी उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

(2) साधारणतः किसी अधिसूचित कृषि-उपज के कारबार के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये सभी लेखे और रजिस्टर तथा ऐसी कृषि-उपज की खरीद-बिक्री और परिदान से सम्बद्ध दस्तावेज जो उसके कब्जे में हों तथा ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापना, गोदाम, जलयान या यान बाजार समिति के अध्यक्ष द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन अपने द्वारा देय किसी बाजार फीस को चुकाने से बचने का प्रयास कर रहा है या किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या नियमावली या बाजार क्षेत्र में प्रवृत्त उप-विधियों के किसी उपबंध का उल्लंघन कर किसी अधिसूचित कृषि उपज की खरीद की है, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उस व्यक्ति के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज जो, आवश्यक हो, अभिगृहित कर सकेगा और उसके लिए एक रसीद देगा तथा उन्हें अपने पास तभीतक रखेगा जबतक

उसकी परीक्षा के लिए आवश्यक हो।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ ऐसा पदाधिकारी या कर्मचारी कारबार के ऐसे स्थान, भण्डारगार, कार्यालय, स्थापना, गोदाम, जलयान या यान में प्रवेश का सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा, जहाँ ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति अपने कारबार का कोई लेखा, रजिस्टर या अपने कारबार से सम्बद्ध अधिसूचित कृषि-उपज का स्टोक रखता हो या उसने तत्समय रख हो।

(5) जहाँ किसी स्थान से लेखा-बही या अन्य दस्तावेज अभिगृहित किये जायें और उनमें कृषि-उपज के परिमाण, कोटेशन-दर, धन की प्राप्ति या भुगतान या खरीद-बिक्री के बारे में प्रविष्टियाँ हों, वहाँ ऐसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों को उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के हाजिर हुए बिना साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा, और ऐसी प्रविष्टियाँ उन बातों, संव्यवहार और लेखाओं का, जिनका उनमें अभिलिखित होना तात्पर्यित है प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति स्वयं या अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के जरिए-

(i) स्वेच्छया बाधा पहुँचाए या प्रतिरोध करे या अड़चन डाले या अन्यथा हस्तक्षेप करे; या

(ii) धारा 31ख के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त पदाधिकारी को जो उस धारा के अधीन अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य कर रहा हो, जानकारी देने से इन्कार करे या नहीं दे या जानबूझकर मिथ्या या भ्रामक जानकारी दे, तो ऐसा व्यक्ति एक हजार रुपये तक की शास्ति का भागी होगा। क्षेत्रीय निदेशक प्राधिकृत पदाधिकारी से ऐसे प्रतिरोध, बाधा या अड़चन अथवा हस्तक्षेप की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिस व्यक्ति के बारे में शिकायत की गई हो उसपर सूचना तामील करायेगा और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद शास्ति आरोपित करके आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा। क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक महीने के भीतर निदेशक विपणन के यहाँ अपील किया जा सकेगा। निदेशक विपणन का इस विषय में आदेश अन्तिम होगा।

(7) बाजार समिति के सचिव, अथवा बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या बाजार समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से सशक्त बोर्ड या बाजार समिति का कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक, निदेशक निगरानी एवं क्षेत्रीय निदेशक किसी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज को ढोते या हटाते हुए पाये गये किसी भी व्यक्ति (या गाड़ी) को रोक सकेगा जिसमें कृषि उपज के परिवहन के लिए देय बाजार शुल्क चुकाई या वसूली नहीं गई हो या लेखे में वसूली गई नहीं दिखाई गई हो और वह माल की जाँच करके उसे हटाये जाने को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेजों को पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि दस्तावेज उस माल के बारे में हो तो, बोर्ड या बाजार समिति का पदाधिकारी या सेवक उसपर उसकी जाँच का समय, तारीख और स्थान पृष्ठांकित कर सकेगा।

31ग. यान आदि रोकने की शक्तियाँ- (1) बाजार समिति के सचिव, अथवा बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या बाजार समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से सशक्त बोर्ड या बाजार समिति का कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक, निदेशक निगरानी एवं क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किसी भी समय ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी गाड़ी, जलयान या अन्य सवारी का चालक या उसका प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति गाड़ी या अन्य सवारी को रोक देगा और उसे तबतक रोक रखेगा जबतक युक्तियुक्त रूप से ऐसा आवश्यक हो और ऐसे पदाधिकारी या सेवक को गाड़ी, जलयान या अन्य सवारी के भीतर की वस्तुओं की जाँच और वाहित अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा। साथ ही वह अपना नाम और पता तथा गाड़ी, जलयान या अन्य सवारी के स्वामी का नाम और पता भी उसे देगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को अधिसूचित कृषि उपज को अभिगृहित करने की शक्ति होगी, यदि ऐसे पदाधिकारी या सेवक को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी उपज के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य कोई फीस या रकम चुकाई या वसूली नहीं गई है अथवा संव्यवहार से संबंधित लेखा या दस्तावेजों में प्रविष्ट नहीं की गई है। साथ ही, पूर्वोक्त पदाधिकारी या सेवक ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) के पास प्रस्तुत करेगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2,1974) की धारा 457, 458, 459 के उपबंध, यथासाध्य पूर्वोक्त रूप से अभिगृहित अधिसूचित कृषि उपज के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अभिगृहित सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) कोई भी व्यक्ति तबतक कोई माल न हटायेंगा या वाहित करायेंगा जबतक कि इस अधिनियम के अधीन देय बाजार फीस चुकाई या वसूली न गई हो। कोई भी गाड़ी या सवारी या गाड़ी या सवारी का स्वामी या चालक अथवा उसका प्रभारी व्यक्ति अपने साथ वह दस्तावेज रखेगा, जिसमें व्यापारी या बाजार समिति के कर्मचारी द्वारा यह दिखाया रहेगा कि ऐसी उपज पर बाजार फीस का भुगतान कर दिया गया है या उसकी वसूली व्यापारी या बाजार समिति के कर्मचारी द्वारा कर ली गयी है या वह ले ली गई है।

(4) बाजार समिति के सचिव, अथवा बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या बाजार समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से सशक्त बोर्ड या बाजार समिति का कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी ऐसी कृषि उपज के स्टोक और उसे ढोने अथवा वाहित करने में प्रयुक्त जानवरों, गाड़ियों, जलयानों या अन्य सवारियों को अभिगृहित कर सकेगा या हटा सकेगा जो अधिनियम, नियमों, उप-विधियों का इस निमित्त निर्गत आदेश के उपबन्धों अथवा नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में ढेई जा रही हो।

32. बाजार समिति का अवकमण- यदि झारखण्ड सरकार की राय में कोई बाजार समिति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसके ऊपर सौंपे गए कर्तव्यों के सम्पादन में अक्षम हो जाय या उनके सम्पादन में बार-बार चूक करे अथवा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करे तो, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस बाजार-समिति को अवकमित कर सकेगी :

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

परन्तु इस धारा के अधीन अधिसूचना निकालने के पहले झारखण्ड सरकार बाजार-समिति को इसका कारण दिखाने का उचित अवसर देगी कि उसे क्यों न अवकमित कर दिया जाय और बाजार-समिति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर यदि कोई हो, वह विचार कर लेगी।

33. अवकमण के परिणाम- (1) बाजार-समिति को अवकमिति करने के धारा 32 के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन हो जाने पर उसके निम्न परिणाम निकलेंगे-

(i) यह मान लिया जायेगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित बाजार-समिति के सभी सदस्यों ने ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपना पद छोड़ दिया है;

(ii) झारखण्ड सरकार आदेश द्वारा-

- (क) धारा 32 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से एक वर्ष के भीतर धारा 9 के अधीन नई बाजार समिति गठित करेगी, या
(ख) उप-खण्ड (क) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, बाजार समिति के कार्यों के सम्पादन के निमित्त अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए यह निदेश देगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कर्तव्यों का सम्पादन बाजार समिति या उसके अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले हों, वे झारखण्ड सरकार द्वारा उसके लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त और संपादित होंगे :

परन्तु जो व्यक्ति अवकमित बाजार-समिति के सचिव के पद पर रहा हो, वह ऐसी नियुक्ति का पात्र न होगा।

(iii) बाजार समिति में निहित सभी मालयते, उसके सभी दायित्वों के अधीन रहते हुए झारखण्ड सरकार में निहित हो जायेंगे। लेकिन यदि नई बाजार-समिति गठित की जाय, तो वे नई बाजार-समिति की कोरम से युक्त पहली बैठक की तारीख तक ही झारखण्ड सरकार में निहित रहेंगे और उसके बाद वे नई बाजार-समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे।

(2) यदि झारखण्ड सरकार उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन ऐसा कोई आदेश न दे तो वह बाजार-समिति के ऐसे सभी मालयत, जो उसके सभी दायित्वों की चुकती कर देने के बाद रह जाय, यथास्थिति उस नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकार को अन्तरित कर देगी जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह बाजार समिति अवस्थित हो या यदि ऐसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकार एक से अधिक हों, तो ऐसी हर नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकार को मालयते का उतना अंश अन्तरित करेगी, जितना झारखण्ड सरकार निर्धारित करे।

(3) जिस नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकार को उप-धारा (2) के अधीन बाजार-समिति के मालयते अन्तरित किये जायें, वह ऐसे मालयतों का अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे उद्देश्य के लिए काम में लाएगा, जिसे झारखण्ड सरकार उस क्षेत्र के खेतिहरों के लाभ के लिए उचित समझे।

अध्याय-4-क
विपणन बोर्ड

33 क. बोर्ड की स्थापना- (1) बाजार समितियों पर अधीक्षण और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या आरोपित अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए झारखण्ड सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित करेगी।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। ये सदस्य झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) झारखण्ड सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कोटियों के व्यक्तियों में से बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करेगी-

- (क) झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग का एक पदाधिकारी;
(ख) झारखण्ड सरकार के कृषि विभाग के दो पदाधिकारी;
(ग) झारखण्ड सरकार के राजस्व विभाग का एक पदाधिकारी;
(घ) झारखण्ड सरकार के ग्राम्य अभियंत्रण संगठन का मुख्य अभियंता -पदेन;
(ङ) झारखण्ड सरकार का मुख्य योजनाकार (टाउन प्लानर) -पदेन;
(च) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक पदाधिकारी जो उस मंत्रालय द्वारा नाम निर्देशित किया जाय;
(छ) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का प्रबंध निदेशक या उसका नामनिर्देशिती;
(ज) बाजार-समितियों के सदस्यों में से नाम निर्देशित किये जाने वाले पाँच सदस्य;
(झ) निदेशक विपणन;
(ञ) बोर्ड का प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(3) बोर्ड का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रबंध निदेशक होगा जो झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कलक्टर से अन्यून पंक्ति का होगा।

(4) पदेन सरकारी सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों की सदस्यता सरकार के प्रसाद पर रहेगी।

33 ख. विपणन बोर्ड का निगमन- बोर्ड, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे विहित शर्तों और निबन्धनों के अधीन चल और अचल सम्पत्ति अर्जित और धारित करने तथा ऐसी किसी सम्पत्ति को पट्टा करने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद चलायेगा और उसपर भी वाद चलेगा तथा नियम, उप-विधियों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन प्रयोजनों के लिए यह स्थापित हुआ है उनके लिए आवश्यक अन्य सभी बात करने के लिए सक्षम होगा।

33 ग. बोर्ड की निधि- (1) प्रत्येक बाजार-समिति, अपनी निधि में से बोर्ड को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) की फीस और बाजार फीस से प्राप्त अपनी आय का उतना प्रतिशत अभिदाय के रूप में देगी जो बोर्ड का स्थापना खर्च, बाजार समिति के हित में किये गये खर्च को पूरा करने के लिए विहित किया जाय।

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

(2) बोर्ड समय-समय पर झारखण्ड सरकार की पूर्व मंजूरी से और इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो झारखण्ड सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अपेक्षित कोई राशि बंधपत्र जारी कर या स्टोक द्वारा उधार ले सकेगा।

(3) बोर्ड उप-धारा (1) के अधीन किसी समय सरकार से प्राप्त कर्ज की रकम के अलावा ऐसी रकम को छोड़कर कोई रकम जो झारखण्ड सरकार उस निमित्त समय-समय पर नियत करे, कर्ज के रूप में ले सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा निर्गत स्टोक ऐसी रीति से निर्गत, अन्तरित, संव्यवहृत और मोचित किया जायेगा जैसा झारखण्ड सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(5) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन से 'विपणन विकास निधि' गठित की जायेगी।

33 घ. बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा- (1) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा बिहार उड़ीसा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1925 के अधीन की जायेगी, और उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकार समझा जायेगा जिसके लेखाओं के विषय में सरकार ने घोषणा की है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(2) बोर्ड अपने लेखाओं की आन्तरिक संपरीक्षा के लिए वैसा इन्तजाम कर सकेगा जो वह उचित समझे।

33 ङ. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति- (1) बोर्ड ऐसे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें वह दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर नियुक्त कर सकेगा जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में उपबन्धित हो।

(2) बोर्ड यथास्थिति झारखण्ड सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्र या झारखण्ड सरकार के किसी सेवक को बोर्ड या किसी बाजार समिति के पदाधिकारी या सेवक के रूप में ऐसी शर्तों या निबन्धनों पर नियुक्त कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी बोर्ड सभी समितियों के लिए समान पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का संवर्ग (काडर) गठन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी बाजार समिति में उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण कर रहा हो (जिसमें वैसा सरकारी सेवक भी शामिल है जो प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा हो), इस संवर्ग के गठन की तारीख को और से (इस धारा में इसके आगे उक्त तारीख के रूप में निर्दिष्ट) संवर्ग का सदस्य हो जायेगा और उसमें उसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं अन्य शर्तों और निबन्धनों पर तथा पेंशन, उपादान और अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद या सेवा धारण करेगा जिसे वह उक्त तारीख को संवर्ग गठित न होने पर धारण करता और उसे तबतक धारण करेगा जबतक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय या जबतक किसी विधि के अधीन या अनुशरण में या उपबंध के अनुसार जिससे उसकी सेवा तत्समय शासित हो बोर्ड द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा संबंधी अन्य शर्त पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जाय:

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो झारखण्ड सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे लिखित सूचना देकर उक्त संवर्ग में नहीं रहने का आशय प्रज्ञापित कर दे।

33 च. प्रबन्ध निदेशक का पर्यवेक्षण और नियंत्रण- बोर्ड के अधीक्षणधीन रहते हुए बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का सामान्य नियंत्रण और निदेशन प्रबंध निदेशक में निहित किया जायेगा।

33 छ. बोर्ड के आदेश और अन्य लिखतों का अभिप्रमाणन- बोर्ड की सभी कार्यवाही प्रबंध निदेशक या सचिव के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित की जायेगी और बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी आदेश और लिखतों को प्रबंध निदेशक, सचिव, अवर सचिव अथवा बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी को, जिसे विनियम द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, के हस्ताक्षर से प्रमाणित की जायेगी।

33 ज. शक्तियों का प्रत्यायोजन- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रबंध निदेशक को या अपने द्वारा नियुक्त उप-समिति को अथवा निदेशक या बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी को, अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

33 झ. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि द्वारा कार्य अविधिमान्य नहीं होगा- बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त उप-समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही मात्र निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी-

(क) बोर्ड अथवा उप-समिति के गठन में कोई त्रुटि या रिक्ति, या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई अनियमितता, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता जो तात्त्विक रूप से प्रभावित न करती हो।

33 ञ. बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा और उसे ऐसा कार्य करने की शक्ति होगी जो उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हो-

(i) बाजार समितियों के कार्यकरण तथा उनके अन्य काम-काज पर अधीक्षण और नियंत्रण जिसमें बाजार और बाजार क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी बाजार समितियों द्वारा हाथ में लिए गये कार्यक्रम भी शामिल हैं,

(ii) दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामान्य रूप से बाजार समितियों को या किसी बाजार समिति को कोई निदेश,

(iii) इस अधिनियम द्वारा उसे विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया कोई अन्य कृत्य,

(iv) विभिन्न प्रकार के ऐसे अन्य कृत्य जो झारखण्ड सरकार बोर्ड को सौंपे।

(2) पूर्ववर्ती उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड की ऐसी शक्ति में निम्नलिखित शक्ति शामिल होगी-

(i) बाजार के विकास के लिए बाजार समिति द्वारा चुने जानेवाले नये स्थल के प्रस्ताव का अनुमोदन;

(ii) बाजार समिति द्वारा हाथ में लिए गये निर्माण कार्यक्रम के रेखांकण और प्राक्कलन की तैयारी में बाजार समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन;

(iii) बोर्ड की निधि पर प्रभार्य सभी निर्माणों का निष्पादन;

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

- (iv) यथाविहित प्रारूपों में लेखा रखना और बोर्ड के विनियमों में यथा अभिकथित रूप से उसे संपरीक्षित कराना;
(v) वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष अपना प्रगति रिपोर्ट, तुलन-पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रकाशित करना तथा उनकी प्रतियाँ बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास भेजना;
(vi) कृषि उपज के नियमित विपणन से सम्बन्धित विषयों पर प्रचार-प्रसार की आवश्यक व्यवस्थाएं करना;
(vii) बाजार समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का उपबंध करना;
(viii) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार और अंगीकृत करना;
(ix) बोर्ड द्वारा अवधारित निबन्धनों और शर्तों पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बाजार समितियों को आर्थिक सहायता देना;
(x) ऐसे अन्य काम करना जो बाजार समितियों के सामान्य हित का हो या बोर्ड के दक्षतापूर्ण कृत्य के लिए आवश्यक समझे जायें।

33 ट. संविदा आदि का निष्पादन और सजिस्ट्रीकरण- बोर्ड की ओर से हरेक संविदा या संपत्ति का हस्तान्तरण लिखित रूप में होगा जिसे वैसा प्राधिकारी और उस रीति से निष्पादित करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित हो।

33 ठ. विनियम- (1) बोर्ड, झारखण्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड के कार्यों के प्रबन्ध के लिए विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम में निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे-

- (क) बोर्ड की बैठक आहूत और आयोजित करना, बैठक का समय और तारीख नियत करना, ऐसी बैठकों का कार्य संचालित करना और बैठक में कोरम के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या,
(ख) बोर्ड के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,
(ग) बोर्ड के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों और धारा 20 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें,
(घ) बोर्ड की संपत्ति का प्रबंध,
(ङ) बोर्ड की ओर संविदाओं और संपत्ति हस्तान्तरणों का निष्पादन,
(च) बोर्ड द्वारा पालन और तुलन-पत्र की तैयारी,
(छ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया,
(ज) कोई अन्य विषय जिनके लिए विनियमों में उपबंध किया जाय या हो।

अध्याय-4-ख

समिति द्वारा राज्य कोष में अंशदान

33 ड. प्रत्येक कृषि उत्पादन बाजार समिति, अपनी निधि से जो उसे बाजार शुल्क एवं अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त होता है राज्य सरकार के कोष में उतना प्रतिशत अंशदान करेगी, जो राज्य सरकार नियमावली द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे।

(यह उपबंध एम0पी0 सुगर लि0 बनाम बिहार राज्य, 1994 (1) पी0 एल0 जे0 आर0 407

तथा सासा मुसा सुगर वर्क्स बनाम बिहार राज्य, 1996 (2) पी0 एल0 जे0 आर0 170 (एस0 सी0) द्वारा सरकार के अधिकारातीत माना गया अतः वर्तमान में प्रभावी नहीं है)

अध्याय-5

प्रकीर्ण

34. जानकारी देने के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों और सेवकों का कर्तव्य- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित बाजार-समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और सेवकों को समिति के कार्यों या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो भी जानकारी हो, उसे वे, बोर्ड या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य पदाधिकारी जैसे ही और जब अपेक्षा करे बता देंगे।

35. निरीक्षण की शक्ति- (1) बोर्ड के प्रबंध निदेशक या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बाजार समिति के लेखे का निरीक्षण करने या करवाने की या बाजार समिति के कार्यकलापों की जाँच संस्थित करने की तथा बाजार समिति या उसके अध्यक्ष से ऐसा कार्य जिसे वह बाजार समिति के हित में आवश्यक समझता हो करने से प्रतिविरत रहने और ऐसे कार्य से प्रतिविरत न होने या ऐसे कार्य न करने का अपना कारण देते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर उत्तर देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी तथा बाजार समिति द्वारा दिए कारण पर विचार करने के बाद बोर्ड का प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उसपर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) बोर्ड के प्रबंध निदेशक या उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को उक्त उप-धारा के प्रयोजनार्थ उसी उपाय और यथाशक्य उसी रीति से साक्षियों को सम्मन करने और कराने तथा दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने की शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5, 1908) में उपबंधित है।

36. आपातिक दशा में लाइसेन्स रोक रखने या रद्द करने के सम्बन्ध में निदेशक की शक्ति- निदेशक, आपातिक दशा में, कारण लिखकर किसी बाजार-कार्याधिकारी (कृत्यचारी) का लाइसेन्स रोक रख सकेगा या रद्द कर सकेगा और बाजार के हित में यथोचित अन्य कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के पहले, निदेशक सम्बद्ध कार्याधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

37. कुष्ठक मामलों में बाजार समिति और अध्यक्ष के कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिए व्यवस्था करने की बोर्ड की शक्ति- जहाँ बाजार समिति किसी न्यायालय के आदेश या विनिश्चय के कारण या किसी अन्य कारण से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो या सक्षम नहीं हो वहाँ ऐसी बाजार समिति के कर्तव्यों के पालन के लिए बोर्ड ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे।

38. आदेश देने की शक्ति- (1) बोर्ड का प्रबंध निदेशक किसी बाजार समिति द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए उस बाजार-समिति की कार्यवाहियों को किसी समय मंगाकर जाँच सकेगा और बाजार समिति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर यथोचित आदेश दे सकेगा।

(2) बोर्ड का प्रबंध निदेशक यह निदेश दे सकेगा कि उप-धारा (1) के अधीन विषय की जाँच और निबटारा हो जाने तक बाजार-समिति के निर्णय या आदेश के कार्यान्वयन को रोक रखा जाय।

39. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति- झारखण्ड सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपजों में कुछ जोड़ सकेगी, या उनमें संशोधन कर सकेगी अथवा उनमें से किसी मद को रद्द कर सकेगी।

40. बाजार-समिति के लिए भूमि-अर्जन- (1) यदि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी भूमि की जरूरत हो, तो झारखण्ड सरकार लैंड एक्विजिशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) के उपबंधों या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उसे अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी।

(2) बाजार-समिति, जब लैंड एक्विजिशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मिलने वाले मुआवजे और अर्जन के संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा किये गये सभी खर्चों का भुगतान कर देगी, तब वह भूमि बाजार-समिति में निहित हो जायेगी।

41. XXX (विलोपित)

42. उल्लिखित व्यक्तियों, वस्तुओं या व्यापारों को इस अधिनियम के उपबंधों से मुक्त करने की शक्ति- झारखण्ड सरकार, अधिसूचना द्वारा और जिन शर्तों तथा प्रतिबंधों को लगाना वह उचित समझे, उनके अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति वर्ग, पण्य-वस्तु, व्यापार या व्यापार वर्ग को इस अधिनियम के किसी या सभी उपबंधों से मुक्त कर सकेगी।

43. बाजार-समिति के जिम्मे सरकार के बाकी रकमों की वसूली- इस अधिनियम के अधीन बाजार समिति द्वारा वसूली जाने वाली या बाजार-समिति के जिम्मे झारखण्ड सरकार या बोर्ड की बाकी हर रकम सरकारी मांग की भाँति वसूली जा सकेगी।

44. तौल सम्बंधी नियम आदि बनाने के बारे में मतभेद- (1) झारखण्ड वेट्स ऐक्ट 2000 (बिहार ऐक्ट, 17, 1947 का अंगीकरण) या झारखण्ड वेट्स एण्ड मेजर्स (इन्फोर्सेमेन्ट) ऐक्ट 2000 (बिहार ऐक्ट, 7, 1959 का अंगीकरण) में किसी बात के होते हुए भी जब किसी नियम या विनियम के अर्थ या अन्वय के सम्बन्ध में (अथवा) किसी बाजार क्षेत्र में बाट या तोलन यंत्र के सत्यापन, समंजन अथवा उस पर मुहर लगाने की रीति के सम्बन्ध में अधिनियम 17, 1947 (अंगीकृत) की धारा 14 की उप-धारा (1) या अधिनियम 7, 1959 (अंगीकृत) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक और हितसम्बद्ध व्यक्ति के बीच कोई मतभेद हो जाय तब हितसम्बद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर या निरीक्षक स्वतः ऐसे मतभेद, विवादास्पद विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार रखनेवाले, यथास्थिति मुख्य बाट-निरीक्षक, झारखण्ड या माप-तौल नियंत्रक, झारखण्ड को सौंप देगा और उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गये निर्णय के विरुद्ध अपील, कृषि-निदेशक, झारखण्ड या झारखण्ड सरकार द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी के पास विहित समय के भीतर की जा सकेगी और उस पर, यथास्थिति, कृषि-निदेशक या ऐसे पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

45. कर्मचारियों का लोक सेवक माना जाना- बाजार समिति का कर्तव्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तथा इसका हर कर्मचारी इण्डियन पेनल कोड, 1860 (45, 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक माना जायेगा।

46. नोटिस दिए बिना वाद चलाने पर रोक- (1) किसी बाजार समिति या बोर्ड अथवा उसके किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक अथवा ऐसी किसी बाजार समिति, बोर्ड, सदस्य पदाधिकारी या सेवक के निदेशानुसार काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन ऐसे सदस्य, पदाधिकारी, सेवक या अन्य व्यक्ति के रूप में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही तबतक संस्थित न की जायेगी जबतक कि लिखित सूचना जिसके वाद हेतुक तथा इच्छुक वादी के नाम और निवास स्थान एवं उसके द्वारा दावाकृत अनुतोष दिया रहेगा, बाजार समिति या बोर्ड की दशा में उसके कार्यालय में तथा ऐसे सदस्य, पदाधिकारी, सेवक या यथा पूर्वोक्त व्यक्ति की दशा में उसे या उसके कार्यालय या सामान्य निवास स्थान पर देकर या छोड़कर तामील की जाने के बाद दो महीने न बीत जाएँ तथा बाद-पत्र में यह भी वर्णित रहेगा कि सूचना इस प्रकार दी या छोड़ी जा चुकी है:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात झारखण्ड सरकार, अध्यक्ष, बाजार समिति या बोर्ड द्वारा किसी सदस्य, पदाधिकारी, सेवक या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध चलाये जाने वाले किसी वाद या विधिक कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

(2) ऐसा हरेक वाद खारिज कर दिया जायेगा, यदि वह वाद-मूल उत्पन्न होने से छः महीने के भीतर ही न चलाया गया हो।

(3) XXX (विलोपित)

47. सद्भावपूर्वक कार्य करनेवाले व्यक्तियों को परित्राण- इस अधिनियम, नियमावली या उप-विधियों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी।

48. दंड- (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन जारी किए गये नियमों, उप-विधियों या, आदेशों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, एक वर्ष तक के कारावास या 1000 रु0 तक के जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय के फैसले में अभिलिखित किये जा सकनेवाले पर्याप्त प्रतिकूल कारण नहीं रहने पर ऐसा कारावास एक महीने से कम का और जुर्माना 500 रुपये से कम का नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दोषी सिद्ध ठहराये जाने के बाद पुनः इस अधिनियम, नियमों या उप-विधियों के अधीन दोषी सिद्ध ठहराया जाय, तो वह दूसरे और हरेक अनुवर्ती अपराध के लिए दो वर्ष तक के कारावास और 2000 तक के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय के फैसले में अभिलिखित किये जा सकनेवाले पर्याप्त प्रतिकूल कारण नहीं रहने पर ऐसा कारावास तीन महीने से कम का और जुर्माना 1000 रुपये से कम का नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- (1) यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक या सचिव सहित कम्पनी या फर्म का प्रभारी या कम्पनी, फर्म के कारबार संचालन के लिए उत्तरदायी हरेक व्यक्ति इस उल्लंघन का दोषी होगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

(2) 'कम्पनी' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी शामिल है, और

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

(3) फर्म के संबंध में 'निदेशक' से अभिप्रेत है (और इसमें शामिल है) फर्म का भागीदार।

49. अपराधों का परीक्षण और संज्ञान- (1) द्वितीय श्रेणी के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली या उप-विधियों के अधीन किसी अपराध का न संज्ञान करेगा और न परीक्षण करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम, या इसके अधीन बनी नियमावली या उप-विधियों के उपबंधों या उसके अधीन दिये गये आदेश के किसी अभिकथित उल्लंघन का संज्ञान इस संबंध में विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना न करेगा।
हों, वह उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकार मानी जायेगी और बाजार समिति-निधि स्थानीय निधि मानी जायेगी।

50. बाजार समिति के लेखे का अंकेक्षण- बाजार समिति के लेखे बिहार एण्ड उड़ीसा लोकल फण्ड ऑडिट ऐक्ट, 1925 (2, 1925) के अधीन अंकेक्षण के अधीन रहेंगे और जिस समिति के लेखे झारखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अंकेक्षण के अधीन घोषित किये गये

51. झारखण्ड सरकार को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करने की शक्ति- (1) झारखण्ड सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी शक्ति या कृत्य को बोर्ड या झारखण्ड सरकार के किसी भी पदाधिकारी, जो प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम में प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड सरकार समय-समय पर बोर्ड को नीति विषयक ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगी जिसे वह ठीक समझे। बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय-5

नियमावली और उपविधियाँ

52. नियम बनाने की शक्ति- (1) झारखण्ड सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, झारखण्ड सरकार निम्न किन्हीं या सभी विषयों के संबंध में नियम बना सकेगी-

- (i) बाजार-समिति के सदस्यों का निर्वाचन और नियुक्ति, धारा 9 में उल्लिखित निकायों या व्यक्ति समूहों में से हरेक के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति और निर्वाचन की रीति;
- (ii) समय-समय पर मतदाता सूचियों की तैयारी और उसका पुनरीक्षण;
- (iii) बाजार-समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना;
- (iv) बाजार-समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन;
- (v) बाजार-समिति की बैठकें और ऐसी बैठकों में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया;
- (vi) बाजार-समिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव (सेक्रेटरी) द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्तियां और पालन किए जानेवाले कर्तव्य;
- (vii) बाजार का प्रबंध, नियंत्रण और विनियमन और फीस जो बाजार समिति द्वारा लगाई जा सकेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी फीस की वसूली और निबटाव;
- (viii) बाजार में काम करनेवाले व्यापारियों, कमीशन एजेंटों, दलालों, तौलकों, मापकों, सर्वेक्षकों, मालगोदाम-मालिकों और कृषि उपज के विधायन (प्रोसेसिंग) और पीड़न (प्रेसिंग) कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों या फर्मों को लाइसेन्स दिया जाना और किन शर्तों तथा किन बंधों के अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेन्स दिये या नवीकृत कराये जायेंगे और उनके लिए क्या फीस ली जायेगी;
- (ix) कृषि उपज के खरीददार और बिक्रेता या उसके एजेंटों के बीच किसी विवाद और साथ-साथ ऐसे विवादों के निवटारे के लिए सुविधा की व्यवस्था करना, जो सामग्रियों की किस्म या तौल, लपेटन (रैपिंग), धारक, गर्दगुबार या अशुद्धताओं के लिए छूट अथवा किसी कारण से की जानेवाली कटौतियों के सम्बन्ध में उठे हों;
- (x) किसी भी लेन-देन (संव्यवहार) में कृषि उपज के खरीददार और बिक्रेता, दोनों की ओर से कार्य करने से दलालों को रोकना;
- (xi) बाजार में लाये गये कृषि उपज के संचय के लिए स्थान की व्यवस्था करना;
- (xii) अंशतः या पूर्णतः बाजार-समिति के खर्च पर किये जानेवाले निर्माणों के लिए नक्शा और अनुमान तैयार करना और ऐसे नक्शे तथा अनुमान की मंजूरी देना;
- (xiii) बाजार-समिति द्वारा रखी जानेवाली पंजियाँ और पुस्तें;
- (xiv) फारम, जिसमें बाजार-समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उसका अंकेक्षण किया जायेगा और समय, जब वे प्रकाशित किये जायेंगे;
- (xv) मंजूरी के लिए वार्षिक बजट की तैयारी और उपस्थापन तथा बाजार-समिति द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट और विवरणियाँ;
- (xvi) बाजार-समिति की अतिरिक्त निधियों का विनियोग और निबटारा;
- (xvii) दलालों, कमीशन-एजेंटों या व्यापारियों द्वारा खेतिहरों को दिए जानेवाले अग्रिम, यदि कोई हो का विनियमन;
- (xviii) बाजार-क्षेत्र में कृषि उपज के लेन-देन में काम में लाये जानेवाले बाटों और मापों तथा तोलन और मापन यंत्रों का प्रकार और विवरण;
- (xix) बाजार-क्षेत्र में काम में लाये जानेवाले सभी बाटों और मापों तथा तोलन और मापन यंत्रों का आवधिक निरीक्षण;
- (xx) बाजार-क्षेत्र में किसी कृषि पैदावार के लेने-देने (संव्यवहार) में किसी व्यक्ति द्वारा दिया या लिया जानेवाला व्यापारिक बट्टा;
- (xxi) कृषि उपज में मिलावट पर रोक;
- (xxii) कृषि उपज की कोटि और मानक नियत करना;
- (xxiii) जिन कृषि पैदावारों के संबंध में बाजार लगाया जाय, उनके मूल्यों की सूची रखना;
- (xxiv) समय, जिसके भीतर धारा 44 की उप-धारा (2) के अधीन झारखण्ड सरकार या उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त पदाधिकारी के

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

पास अपील की जायेगी;

- (xxv) रीति, जिसके अनुसार बाजार में कृषि पैदावार नीलाम किये जायेंगे और डाक बोले तथा स्वीकार किये जायेंगे;
- (xxvi) धारा 15 के अधीन खुदरा बिक्री या खपत के लिए कृषि पैदावार का परिमाण;
- (xxvii) शर्तें, जिसके अधीन रहते हुए बाजार-समिति इस अधिनियम के अधीन किसी संपत्ति को पट्टे पर दे सकेगी, बेच सकेगी या अन्यथा हस्तान्तरित कर सकेगी;
- (xxviii) बाजार-समिति की बैठकों की प्रक्रिया और उसका संचालन;
- (xxix) समिति के पदाधिकारियों और सेवकों को अनुशासित, नियंत्रित, दंडित, बर्खास्त या पदोन्मुक्त करना अथवा हटाना;
- (xxx) ऐसा कोई अन्य विषय जिसे विहित करना अपेक्षित हो अथवा जो विहित किया जाय;
- (xxxi) मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण, बाजार क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन और निर्वाचन;
- (xxxii) जिन व्यक्तियों द्वारा और जिन फारम में दस्तावेज की प्रतियाँ और बाजार समिति या बोर्ड की बहियों की प्रविष्टियाँ प्रमाणित की जायेगी और ऐसी प्रतियों की आपूर्ति के लिए, लिए जानेवाले चार्ज;
- (xxxiii) वह रीति, जिससे बाजार-समिति की जाँच और निरीक्षण किया जाय;
- (xxxiv) ऐसे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन बाजार-समिति संविदा कर सकेगी;
- (xxxv) ऐसी परिस्थितियाँ, जिसमें किसी कृषि उपज को मिलावट-युक्त माना जाय;
- (xxxvi) इस अधिनियम या नियमावली के अधीन अपील और पुनरीक्षण के सम्बन्ध में देय फीस और किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में देय फीस; और
- (xxxvii) कोई अन्य बात जिसका इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो और जिसका उपबन्ध झारखण्ड सरकार की राय में, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो।

(3) इस धारा द्वारा सौंपी गई नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन रहेगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद बनाये जायें।

(4) इस धारा के अधीन हर नियम बनने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के हर सदन के समक्ष सत्र में कुल चौदह दिनों के लिए रखा जायेगा। यह हो सकता है कि उक्त चौदह दिनों की अवधि एक ही सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में पड़े और जिस सत्र में उसे इस प्रकार रखा जाय उसकी या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पहले यदि दोनों सदन नियम में कोई रूपभेद करने में सहमत हों या दोनों सदन इस बात से सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाय तो इसके बाद नियम, यथास्थिति, केवल रूपभेदित रूप में प्रभावी या निष्प्रभावी होगा; किन्तु, ऐसे किसी रूपभेद या रद्दगी का उक्त नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की मान्यता पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा।

53. उप-विधि बनाने की शक्ति- (1) बाजार-समिति, निदेशक की या बोर्ड द्वारा इसके लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त किसी अन्य पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी से अपने प्रबंध के अधीन बाजार-क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी उप-विधियाँ बना सकेगी, जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हो।

(2) ऐसी उप-विधियाँ पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाई जायेंगी।

(3) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप-विधियों में निम्नलिखित बातों का उपबन्ध हो सकेगा-

- (i) बाजार-समिति के कार्य का विनियमन;
- (ii) बाजार-समिति की उप-समिति के कार्य का विनियमन;
- (iii) उप-समितियों को बाजार-समिति की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रत्यायोजन की शर्तें;
- (iv) बाजार-समिति के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें;
- (v) बाजार-समिति के पदाधिकारियों और सेवकों की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का अभ्यर्पण;
- (vi) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने, नवीकृत करने, नामंजूर करने, निलम्बित करने या रद्द करने की प्रक्रिया और ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें बाजार समिति द्वारा लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण शामिल किया जा सकेगा;
- (vii) बाजार-क्षेत्र के भीतर बाजार कृत्यकारी के रूप में किसी हैसियत से व्यापार या कार्य करने की शर्तें;
- (viii) क्रेता और बिक्रेता के बीच व्यापार का नियंत्रण और विनियमन;
- (ix) उचित समय पर अधिसूचित कृषि उपज तौलवा देना;
- (x) बिक्री के लिए उत्पादक द्वारा व्यापारी को दी गई कृषि उपज के सम्बन्ध में उत्पादक को तुरत रसीद दिलवाना;
- (xi) बाजार-क्षेत्र के भीतर यार्ड में या उसके बाहर अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री की प्रक्रिया;
- (xii) इस बाजार-समिति के स्टाफ के सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री;
- (xiii) बिक्री तय होते ही बिक्री करार का कार्यान्वयन;
- (xiv) बिक्री करार लागू हाते ही माल की डिलिवरी लेना;
- (xv) कमीशन एजेन्ट की सहायता के बिना, उत्पादक से सीधी खरीद के सभी मामलों में माल की डिलिवरी लेते समय, बिक्रेता को खरीददार द्वारा कृषि उत्पादन के मूल्यों का भुगतान;
- (xvi) बिक्री करार की तारीख से कमीशन एजेन्ट द्वारा खरीददार को अनज्ञेय क्रेडिट की अधिकतम अवधि का निर्धारण;
- (xvii) खरीददार को कृषि उत्पादन की डिलिवरी देते ही कमीशन एजेन्ट द्वारा मालिक को शीघ्र भुगतान कराना;
- (xviii) जहाँ कमीशन एजेन्ट ने उप-विधियों के अधीन क्रेडिट की अनुज्ञेय अधिकतम अवधि की समाप्ति के पूर्व क्रेडिट की स्वीकृति दी हो वहाँ खरीददार द्वारा कमीशन एजेन्ट का कृषि उपज के मूल्य का जब जैसे ही यह क्रेडिट शर्तों के अनुसार देय हो, भुगतान कराना;

- (xix) जहाँ कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी भुगतान निलम्बित करे या दिवालिया हो जाय अथवा बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के कारबार के सम्बन्ध में अपने दायित्वों और बाध्यताओं का निर्वहन करने में अन्यथा असमर्थ हो या इन्कार करे या उसकी उपेक्षा करे, वहाँ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे व्यापारी और जिनके साथ उस व्यापारी ने कारबार किया हो उन व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व तथा वह रीति एवं वे निबन्धन जिनपर वे कारबार समाप्त होते हैं या चलते हैं;
- (xx) बाजार-कृत्यकारियों द्वारा बाजार समिति की विवरणी, रिपोर्ट और विवरण का उपस्थापन और बाजार फीस की वसूली कराना;
- (xxi) बाजार-कृत्यकारियों की लेखा बही, संचिका या दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश करना;
- (xxii) कृषि उपज में मिलावट की रोक-थाम;
- (xxiii) बाजार-कृत्यकारियों के विभिन्न वर्गों को जारी किये लाइसेन्स के बारे में देय लाइसेन्स फीस;
- (xxiv) व्यापारियों द्वारा विज्ञप्ति की जानेवाली प्रतिभूति की रकम या दी जानेवाली बैंक प्रत्याभूति की रकम का प्रतिशत निर्धारण;
- (xxv) बाजार-समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता;
- (xxvi) कारबार के स्थानों तथा अन्य स्थानों में प्रवेश और इसके निरीक्षण की प्रक्रिया;
- (xxvii) जहाँ बिक्रेता कमीशन एजेन्ट की सहायता के बिना अपनी कृषि उपज का बिक्रय सीधे खरीददार के हाथ करे, वहाँ उसे दी जानेवाली सहायता;
- (xxviii) बाजार में बाजार-कृत्यकारी के प्रवेश का विनियमन और ऐसे कृत्यकारियों के आचारण पर नियंत्रण;
- (xix) लाइसेन्स के लिए आवेदन का फारम, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स के नवीकरण के लिए अहर्तायें (योग्यतायें) और निरहर्तायें (अयोग्यतायें), लाइसेन्स के लिए आवेदनों में किए गये कथन की परिशुद्धता के सत्यापन के बारे में जाँच की प्रक्रिया;
- (xxx) यार्डों में कय-बिक्रय का आरम्भ और अन्त;
- (xxxi) रखी जानेवाली, और अनुरक्षित होनेवाली बहियाँ, रजिस्टर और दस्तावेज, बाजार-कृत्यकारियों से प्राप्त विवरणी से तैयार किये जानेवाले विवरण का संकलन तथा बाजार कृत्यकारियों द्वारा रखे जानेवाले और अनुरक्षित होनेवाले रजिस्टर, बहियाँ और दस्तावेज;
- (xxxi) ऐसे अन्य विषय, जिनके बारे में इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमावली के अधीन उप-विधियाँ आवश्यक हैं या आवश्यक हो;

(4) यदि बाजार समिति ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार ऐसी उप-विधि बनाने या ऐसी उप-विधि में संशोधन करने और उसे अनुमोदनार्थ निदेशक के पास भेजने में असफल रहे तो निदेशक, बाजार समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा यथास्थिति ऐसी उप-विधि बना सकेगा, या उसमें संशोधन कर सकेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बाजार समिति द्वारा बनायी गयी या संशोधित की गयी समझी जायेगी।

54. (1) कोई भी अधिसूचित कृषि उपज ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि निदेशक/ प्रबंध निदेशक, द्वारा विहित किया जाय, जारी किए गए अनुज्ञापत्र (परमिट) के अनुसार ही बाजार क्षेत्र से बाहर हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं, बशर्ते कि बिक्रेता द्वारा जारी किया गया बिल, कृषि उपज के प्रसंस्कृत उत्पादन के परिवहन के समय पास में रखा हो। बशर्ते यह भी कि कृषि उपज का 'उत्पादक' स्वयं बिना अनुज्ञापत्र के जैसा कि प्रबंध निदेशक/ निदेशक, द्वारा विहित किया जाय, मंडी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाएगा।

(2) किसी भी कृषि उपज को वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन, जैसा कि प्रबंध निदेशक/ निदेशक द्वारा विहित किया जाए, मंडी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जायेगा।

55. बाजारोन्मुख कृषि के कारण कृषि के एकरारनामा का प्रकार-

(1) कोई भी बाजारोन्मुख कृषि तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि निम्न शर्तविलियों का पालन नहीं होता है, और जिन्हें अधिनियम के परिशिष्ट-11 में संरक्षित किया गया है-

(i) 'बाजारोन्मुख कृषि' प्रायोजक स्वयं को बाजार समिति में, या निर्धारित अधिकारी से यदि बाजारोन्मुख कृषि उत्पादक की जमीन एक से अधिक बाजार क्षेत्र में हो, ऐसी रीति से पंजीकृत करायेगा जो विहित हो।

(ii) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा को इस निमित्त विहित किये गये अधिकारी से या बाजार समिति से अभिलेखबद्ध करायेगा जिसके करार का स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें उन विवरण और शर्तों का उल्लेख हो जो कि विहित की जाय। बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा में किसी बात के होते हुए भी बाजारोन्मुख एकरारनामा से उद्भूत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार, दखल, स्वामित्व या अधिग्रहण का अन्तरण या या अन्य संकामक बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक या बाजारोन्मुख कृषि केता या उसके उत्तराधिकारी या एजेन्ट में निहित नहीं किया जायेगा।

(2) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के प्रावधानों में यदि उभयपक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी पक्ष अपना आवेदन संबंधित बाजार समिति या विहित पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जिससे विवाद की मध्यस्थता हो।

समिति या विहित पदाधिकारी उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम एक सप्ताह के भीतर विवाद का निबटारा करेंगे।

¹(हिन्दी पाठ)- ...उत्पादन- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- .- producer ²(हिन्दी पाठ)- ...बाजार समिति- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- -- Market Oriented Farming

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1.संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

(3) बाजार समिति या विहित पदाधिकारी के निर्णय से व्यथित पार्टी उप-धारा 3 के अधीन निर्णय दिये जाने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर निदेशक/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद या प्रबंध निदेशक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं।

निदेशक/ प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद 15 दिनों के अन्दर वाद का निष्पादन करेंगे और निदेशक/ प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(4) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा से संबंधित या इससे उठने वाले विवादों को इसमें किये गये उपर्युक्त उपबंधों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जायेगा।

(5) बाजारोन्मुख कृषि एकरारनामा के दायरे में आने वाले कृषि उपज को बाजार यार्ड के बाहर बाजारोन्मुख कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और मंडी शुल्क कृषि उपज पर बाजारोन्मुख कृषि क्रेता से उस दर से लिया जायेगा जो उपबंधित होगा।

56. (क) अनुज्ञप्ति-

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज सीधे कृषकों से खरीदना चाहता हो या निजी यार्ड स्थापित करना चाहता हो या धारा 5(4) के अधीन उपभोक्ता/ कृषक मंडी एक या एक से अधिक मंडी क्षेत्र में स्थापित करना चाहता हो, यथास्थिति लाइसेन्स की मंजूरी या नवीकरण के लिए निदेशक/ प्रबंध निदेशक को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसा 'राज्य सरकार' द्वारा विहित किया जाय, आवेदन करेगा।

(2) लाइसेन्स के लिए ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ऐसा शुल्क जमा किया जायेगा जैसा कि प्रबंध निदेशक द्वारा विहित किया जाय।

(3) उप-धारा (1) के अधीन लाइसेन्स की मंजूरी/ नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन, 'राज्य सरकार' द्वारा विहित किए गए प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति स्वीकृत या अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रद्द किया जा सकता है यदि-

(i) मंडी समिति को संदेय राशि, आवेदक पर बकाया हो

(ii) आवेदक नावालिग हो या सदाशयी (बोनाफाइड) न हो।

(iii) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधि द्वारा आवेदक व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया हो।

(iv) आवेदक को किसी फौजदारी मामले में दोषी करार दिया गया हो और कारावास का दंड दिया गया हो।

(ख) (1) अधिनियम की धारा 56 (क) की उप-धारा (4) के उपबंधों अध्वधीन रहते हुए निदेशक या प्रबंध निदेशक या विहित प्राधिकारी या मंडी समिति जिसने भी यथास्थिति लाइसेन्स या पंजीकरण जारी किया है, लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक को लिखित में कारण बताते हुए लाइसेन्स/ पंजीकरण को रद्द कर सकेगा-

(i) यदि लाइसेन्स का पंजीकरण जानबूझ कर मिथ्या निरूपण या कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो, या

(ii) अगर कोई लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक या उसका कोई कर्मचारी या उसकी (लाइसेन्स या पंजीकरण धारक) अभिव्यक्ति या विवक्षित (इम्पलाइड) अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति लाइसेन्स/ पंजीकरण के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त को भंग करता है, या

(iii) अगर लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक अन्य लाइसेन्स! पंजीकरण धारकों के साथ अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी यार्ड/ उप मंडी यार्ड में जानबूझ कर बाधित करने या रोकने के आशय से मंडी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना सामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित हुआ हो या रुक गया हो, या

(iv) अगर लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक दिवालिया हो गया हो, या

(v) अगर लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित हो, उपगत कर ले, या

(vi) अगर लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोषी ठहराया जाय, अगर सिद्धदोष पहली बार हो या तीन वर्षों में उत्तरवर्ती सिद्धदोष हो।

(2) अधिनियम की धारा 56 (क) की उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक

¹(हिन्दी पाठ)- ...बोर्ड- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- -- State Government ²(हिन्दी पाठ)- ...बोर्ड- (प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ)- -- State Government

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्स अंश।

पदाधिकारी किसी लाइसेन्स पंजीकरण को, किसी ऐसे कारण से कि कोई बाजार समिति किसी लाइसेन्स/ पंजीकरण को उप-धारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक माह से अनधिक अवधि के लिए लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक को लिखित में कारण बताने के बाद, निलंबित कर सकेगा,

परन्तु ऐसा आदेश, उसके किए जाने की तारीख से दस दिन की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा अगर ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मंडी समिति द्वारा नहीं कर दी गयी हो।

(3) अधिनियम की धारा 56 (ख) की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 56 (ख) की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निदेशक/ प्रबंध निदेशक, लिखित में लाइसेन्स/ पंजीकरण धारक को ऐसे कारणों की सूचना देते हुए, आदेश द्वारा मंडी समिति द्वारा मंजूर या नवीकृत किए गए लाइसेन्स/ पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी आदेश, मंडी समिति को सूचना दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई लाइसेन्स/ पंजीकरण तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दीकरण के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(ग) (1) मंडी समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या अध्यक्ष या निदेशक/ प्रबंध निदेशक के कियी आदेश द्वारा, जो कि यथास्थिति धारा 56 के अधीन पारित किया गया हो, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपील कर सकेगा-

(i) ऐसा आदेश प्राप्ति के सात दिन के भीतर मंडी समिति को, जहाँ ऐसा आदेश अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो,

(ii) ऐसा आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर निदेशक/ प्रबंध निदेशक को, जहाँ ऐसा आदेश, मंडी समिति द्वारा पारित किया गया हो, और

(ii) ऐसा आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर यथा निर्धारित रीति में राज्य सरकार को जहाँ ऐसा आदेश, निदेशक/ प्रबंध निदेशक द्वारा पारित किया गया हो।

(2) अपील पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो ऐसी कालावधि के लिए जैसी वह उचित समझे रोक (स्टे) लगा सकेगा।

(3) अध्यक्ष, मंडी समिति और निदेशक/ प्रबंध निदेशक, द्वारा पारित किया गया आदेश इस धारा के अधीन अपील में दिए गए आदेश के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा तथा किसी विधिक न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट- II

बजारोन्मुख कृषि मॉडल एकरारनामा

[धारा 55 (1) के अन्तर्गत]

(इस एकरारनामा के सभी खण्ड (क्लॉज) "बाजारोन्मुख कृषि मॉडल एकरारनामा की विषय-वस्तु" में दी गयी संबंधित स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अधीन है।)

यह करार(वर्ष) 200.. में से की आयु के लोगों के बीच जो के रहनेवाले हैं, जिसे पहले भाग का पहला पक्षकार कहा गया है (जब कि संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती) किया गया, मे0..... कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत संस्थापित एक प्राइवेट/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय..... पर है जिसे दूसरे भाग का दूसरा पक्षकार कहा गया है (जब तक संदर्भ से असंगत नहीं है इससे अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं)।

पहले भाग का पक्षकार कृषीय भूमि का स्वामी/ कृषक है जिसका व्यौरा निम्नानुसार दिया गया है-

ग्राम	गट संख्या	क्षेत्र, हेक्टेयर में	तहसील और जिला	राज्य

दूसरे भाग का पक्षकार कृषि उपज का व्यापार कर रहा है और भूमि तैयार करने, नर्सरी, उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सींचाई, फसल कटाई और सदृश बातों के संबंध में तकनीकी जानकारी भी प्रदान कर रहा है।

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटेड अंश।

दूसरे भाग का पक्षकार विशेषकर यहाँ संलग्न सूची में उल्लिखित कृषि उपज की मर्दों में अधिक आकृष्ट है और दूसरे भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, पहले भाग का पक्षकार यहाँ संलग्न सूची में उल्लिखित कृषि उपज की मर्दों की खेती और उपज बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

दोनों पक्षकार, इसमें आगे लिखी गई रीति से लिखित में, शर्तें कम करने के लिए करार करते हैं।

यह करार इस बात का साक्षी है कि यह नियमानुसार इसके पक्षकारों के बीच किया गया

- 1- पहले भाग का पक्षकार कृषि उपज का उत्पादन करने और दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है और दूसरे भाग का पक्षकार पहले भाग के पक्षकार से कृषि उपज की मर्दों की खरीद करने के लिए सहमत है, मर्दों के व्यौरे, गुणवत्ता, मात्रा और मर्दों की कीमतें उपाबद्ध सूची में विशेष रूप से उल्लिखित हैं।
- 2- कृषि उपज जिसके व्यौरे इससे उपाबद्ध सूची में उल्लिखित किए गए हैं, पहले भाग के पक्षकार द्वारा दूसरे भाग के पक्षकार को इसकी..... तारीख के..... माह/वर्षों की अवधि के अन्दर प्रदान की जायेगी।

अथवा

दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति है कि यह करार कृषि उपज जिसके व्यौरे का वर्णन इसकी उपाबद्ध सूची में किया गया है, के लिए है और यहमाह/वर्षों की अवधि के लिए है और इस अवधि के समाप्त होने पर यह करार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 3- पहले भाग का पक्षकार खेती करने और इससे उपाबद्ध सूची में उल्लिखित मात्रा को दूसरे भाग के पक्षकार को देने के लिए सहमत है।
- 4- पहले भाग का पक्षकार अनुसूची में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों के अनुसार संविदागत मात्रा को देने के लिए सहमत है। यदि कृषि उपज सहमत किए गये गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है, तो दूसरे भाग का पक्षकार इसके कारण कृषि उपज की सुपूर्दगी को मना करने का पात्र होगा।

(क) पहले भाग का पक्षकार को पारस्परिक बातचीत से पुनः तय की गयी कीमत पर उपज को बेचने के लिए मुक्त होगा।

अथवा

(ख) मुक्त मंडी में, थोक केता अर्थात् निर्यातक/ संसाधन निर्माता आदि और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा।

अथवा

(ग) मंडी यार्ड में और यदि प्राप्त की गई कीमत संविदागत कीमत से कम है तो वह अपने निवेश के अनुपात में, दूसरे भाग के पक्षकार को कम लौटायेगा।

यदि दूसरे भाग का पक्षकार अपने किन्हीं कारणों से संविदागत उपज की सुपूर्दगी को लेने से मना करता है/ लेने में असफल है तो पहले भाग का पक्षकार उपज को मुक्त मंडी में बेचने के लिए मुक्त होगा और यदि प्राप्त की गई संविदागत कीमत से कम है और यह अन्तर दूसरे भाग के पक्षकार के कारण होगा तो दूसरे भाग का पक्षकार उक्त अन्तर को पहले भाग के पक्षकार कोदिना के अवधि के अन्दर देगा।

- 5- पहले भाग का पक्षकार दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों के अनुसार भूमि तैयार करने, नर्सरी, उर्वरण, नाशीजीव प्रबंधन, सींचाई, फसल कटाई और अन्य बातों के बारे में अनुदेशों/ पद्धतियों को स्वीकार कर के अनुसूची में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार मर्दों की खेती करने के लिए सहमत है।

- 6- दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट रूप से सहमति है कि कयन (खरीददारी) निम्नांकित शर्तों के अनुसार होगी और खरीद के तुरन्त बाद कय पर्ची दी जायेगी-

तारीख	सुपूर्दगी स्थल	सुपूर्दगी की लागत

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइट्ड अंश।

यह भी सहमति हुई है कि दूसरे भाग के पक्षकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुपर्दगी के बाद सुपर्दगी स्थल पर संविदागत उत्पाद को कब्जे में ले और यदि वह अवधि के अन्दर सुपर्दगी लेने में असफल होता है तो पहले भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उत्पाद को निम्नानुसार बेचने के लिए मुक्त होगा-

(क) मुक्त मंडी में थोक क्रेता निर्यातक/ यंसाधन निर्माता आदि को और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम देगा।

(ख) मंडी यार्ड में और यदि वह संविदागत कीमत से कम कीमत प्राप्त करता है तो दूसरे भाग के पक्षकार को अपने निवेश के अनुपात में कम लौटयेगा।

7- फसल की कटाई के बाद जब उसे दूसरे भाग के पक्षकार को सौंप दिया जाता है, तब दूसरे भाग का पक्षकार, पहले भाग के पक्षकार को दिये गये सभी अग्रिमों की बकाया राशि की कटौती के बाद, उसे उल्लिखित कीमत/दर देगा। भुगतान के लिए निम्न सूची का अनुपालन किया जायेगा-

तारीख	भुगतान का तरीका	भुगतान का स्थान

8- इसके पक्षकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित संविदागत उपज को दैवीय प्रकोप, विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के नाश, ऋण दोष और उत्पादन एवं आय में हानि और अन्य कार्य अथवा घटनाएं जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर है जैसे गंभीर बीमारी, महामारी फैलने से अथवा असामान्य मौसम, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, भूकम्प, आग अथवा महा विपत्तियों, युद्ध के कारण बहुत कम उत्पादन और सरकार के कार्य जो इस करार के समय अथवा इसकी प्रभावी तारीख पर किये गये हैं जो कृषक के दायित्व के पूरा होने को पूर्णतः अन्यथा बाधित करते हैं, के कारण होने वाली हानियों के जोखिम से बचाने के लिए की अवधि के लिए बीमा करवायेंगे। ऐसे अनुरोध पर ऐसे कार्य को करने वाला पहले भाग का पक्षकार तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि दूसरे पक्षकार को देगा। ऐसे साक्ष्य में समुचित सरकारी विभाग के प्रमाण-पत्र का विवरण शामिल होगा। यदि ऐसा विवरण अथवा प्रमाण-पत्र युक्तियुक्त प्रकार से प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कार्यों का दावा करने वाला पहले भाग का पक्षकार इसके विकल्प के रूप में नोटरी विवरण तैयार करेगा जिसमें दावा किए गए तथ्यों के व्यौरों और कारणों का वर्णन होगा कि क्यों इस प्रकार का प्रमाण-पत्र अथवा विवरण ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की पुष्टि करता है। विकल्पतः दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति के अध्यक्षीन पहले भाग का पक्षकार उपज के अपने कोटे को अन्य स्रोतों से पूरा कर सकता है और कीमत अन्तर के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि को ध्यान में रख कर दोनों पक्षकारों के बीच बराबर बांटा जायेगा।

9- दूसरे भाग का पक्षकार खेती और फसलोपरान्त-प्रबंधन की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है। इन सेवाओं का व्यौरा निम्न प्रकार है-

- 1
- 2
- 3
- 4

10- दूसरे भाग का पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधि करार की अवधि के दौरान पहले भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/ नामित कृषक फोरम के साथ नियमित बातचीत करने के लिए सहमत है।

11- दूसरे भाग का पक्षकार अथवा इसके प्रतिनिधियों को अपनी लागत पर स्वीकृत कृषि पद्धतियों और उपज की गुणवत्ता निरीक्षण करने के लिए पहले भाग के पक्षकार के परिसरों/ खेतों में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

12- दूसरे भाग का पक्षकार यह पुष्टि करता है कि उसने स्वयं को दिनांक को पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करवा लिया है और इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार वह उस पंजीकरण प्राधिकरण को शुल्क प्रदान करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में उस कृषि उपज के विपणन का विनियमन है जिसकी खेती उस भूमि पर की जाती है जिसका वर्णन-

अथवा

दूसरे भाग के पक्षकार ने स्वयं को दिनांक को एकल बिन्दु पंजीकरण प्राधिकरण, जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है, नामतः..... के साथ पंजीकृत करा लिया है। संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण उद्ग्रहित शुल्क केवल दूसरे भाग के पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा और किसी भी रीति में पहले भाग के पक्षकार को दी गयी राशि से काटा नहीं जायेगा।

13- इस करार के दौरान दूसरे भाग के पक्षकार को पहले भाग के पक्षकार की भूमि-संपत्ति पर हक, स्वामित्व, कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा। न ही वह किसी किसी भी तरह पहले भाग के पक्षकार को विशेषकर भूमि-संपत्ति से अन्य संक्रान्त कर सकता है और न ही किसी भी तरह से पहले पक्षकार की भूमि-संपत्ति को अन्य दूसरे व्यक्ति/ संस्थान को बंधक स्वरूप, पट्टे या उप-पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्तरित कर सकता है।

14- दूसरे भाग का पक्षकार इस करार की सच्ची प्रति दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर इसके करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अन्दर इस उद्देश्य के लिए विहित ए0पी0एम0 अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित मंडी समिति..... /पंजीकरण प्राधिकरण/ अन्य कोई पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

15- करार का विघटन/ पर्यवसान, रद्दीकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा। ऐसे विघटन अथवा पर्यवसान/ रद्दीकरण का विलेख इस प्रकार के विघटन, पर्यवसान/ रद्दीकरण होने के 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया जायेगा।

16- इस विषय में दोनों पक्षकारों के बीच होने वाले विवाद अथवा मतभेद या इस करार के अन्तर्गत अधिकारों या उत्तरदायित्वों के कारण या एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई आर्थिक दावा अथवा अन्यथा या इस करार की किन्हीं शर्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण ऐसे विवाद अथवा मतभेद, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित माध्यस्थ-प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए जायेंगे।

17- इस करार के किसी भी पक्षकार का पता परिवर्तन होने के मामले में यह पता दूसरे पक्षकार और पंजीकरण प्राधिकरण को भी सूचित किया जाना चाहिए।

18- इस विषय में प्रत्येक पक्षकार इस करार के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों के निष्पादन में दूसरे पक्षकार के साथ सद्भावपूर्वक, तत्परतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करेगा और दूसरे के हित को जोखिम में नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्य-स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख दिन माह और वर्ष में इस प्रकार से हस्ताक्षर कर दिए हैं-

पहले भाग के पक्षकार ने

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और परिदान किया।

दूसरे भाग के पक्षकार ने

1.

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और परिदान किया।

.....

अनुसूची
श्रेणी, विनिर्देशन, मात्रा और कीमत चार्ट

श्रेणी	विनिर्देशन	मात्रा	कीमत/दर
श्रेणी 1 अथवा क	आकार		
	रंग		
	सुवास(एरोमा)		
	अन्य		
श्रेणी 2 अथवा ख	आकार		
	रंग		
	सुवास(एरोमा)		
	अन्य		



अनुसूची

[धारा 2 (1) (क) देखें]

1. अनाज

(1) धान	(6) xxx	(11) चना का सत्तू	(16) मैदा	(21) xxx
(2) चावल	(7) xxx	(12) xxx	(17) चना का बेसन	(22) छांटी जौ
(3) गेहूँ	(8) xxx	(13) xxx	(18) xxx	(23) xxx
(4) मकई	(9) xxx	(14) गेहूँ का आटा	(19) xxx	(24) साबुदाना
(5) जौ	(10) चना का बेसन	(15) सूजी	(20) जई	(25) xxx

2. दाल

(1) चना खंडा एवं दाल	(3) मसूर खंडा एवं दाल	(5) खेसारी खंडा एवं दाल	(7) सूखे मटर या केराव खंडा एवं दाल
(2) अरहर खंडा एवं दाल	(4) उरद एवं कलाई खंडा एवं दाल	(6) मूंग खंडा एवं दाल	(8) कूरथी खंडा एवं दाल
	(9) लोबिया का बीज खंडा एवं दाल		

3. तेलहन

(1) सरसो	(3) एरंड बीज	(5) तिल	(7) महुआ-बीज	(9) करंज
(2) अलसी	(4) मूंगफली	(6) रामतिल-बीज (नाइजर सीड)	(8) कुसुम-बीज	(10) कपास का बीज
		(11) सूर्यमुखी		

4. तेल

सभी वनस्पति तेल

5. फल

(1) आम	(5) नींबू	(9) कटहल	(13) सेव	(17) लालमी
(2) केला	(6) अंगूर	(10) xxx	(14) पपीता	(18) बेल
(3) लीची	(7) अनार	(11) अमरुद	(15) अनानास	(19) मौसमी
(4) नारंगी	(8) खरबूजा-तरबूजा	(12) नासपाती	(16) चिरौंजी दाना (छिलका सहित एवं बिना छिलका का)	(20) सिंधारा (छिलका सहित एवं बिना छिलका का हरा एवं सूखा)
	(21) xxx	(22) खीरा	(23) ककड़ी	

6. तरकारियाँ

(1) आलू	(7) भतुआ (सफेद कुम्हरा)	(13) साग	(19) कैता	(25) शलगम
(2) प्याज	(8) टमाटर	(14) गाजर	(20) झिंगनी	(26) सहजन
(3) परवल	(9) फूलगोभी	(15) मूली	(21) कद्दू	(27) ओल
(4) बैंगन	(10) पात-गोभी	(16) सकरकंद	(22) चटैल	(28) कंदा
(5) कोहरा	(11) हरे मटर (छीमी)	(17) करैला	(23) भिण्डी	(29) कुन्दली
(6) भिंडी	(12) सेम	(18) नेबुआं	(24) मिश्रीकंद	(30) अरुई

7. रेशेदार

(1) कपास (धुनी बिन धुनी)	(3) सनपटुआ	(5) तसरगोला	(7) सुतली
(2) पटसन	(4) रेशम	(6) पटसन के बने बोरे	(8) नारियल, सावे इत्यादि की रस्सी

8. पशुपालन पदार्थ

(1) मुर्गे, मुर्गियां, बतख इत्यादि	(5) बकरा-बकरी	(9) दूध	(13) बकड़े और भेड़ का मांस
(2) अंडे	(6) ऊन	(10) कमाये और कच्चे चमड	(14) मछली
(3) मवेशी	(7) मक्खन	(11) हड्डियां	(15) सूअर का बाल
(4) भेड़े	(8) घी	(12) भेड़ का रोआं	(16) क्रीम
	(17) छेना	(18) सूअर का मांस	(19) खोआ

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

9. मरिचादि, मसाले तथा अन्य

- | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------|
| (1) हल्दी | (5) अदरक | (9) काजू | (13) सोंफ | (17) छुहारा |
| (2) मिरचाई | (6) इलायची | (10) मेथी | (14) जीरा | (18) नारियल तेल |
| (3) लहसुन | (7) पान | (11) मंगरौला | (15) लौंग | (19) किसमिस-मुनक्का |
| (4) धनिया | (8) सुपारी | (12) इमली | (16) अजवाइन | (20) बदाम |
| (21) नारियल (छिलका सहित एवं छिलका रहित) | | | (22) दालचीनी | |

10. घास और चारा

- (1) सवई घास (2) धान का पुआल (3) गेहूँ का पुआल (4) भूसा

11. मादक-तम्बाकू

- (1) तम्बाकू (2) जर्दा (3) जाफरानी जर्दा वगैरह

12. प्रकीर्ण

- | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| (1) ईख | (9) मखाना | (17) मिश्री | (25) खांडसारी | (33) एस्ट्रॉ बोर्ड |
| (2) गुड़ | (10) महुआ | (18) आम का अचार | (26) छोआ | (34) साल सीड, प्लाई ऊड |
| (3) चीनी | (11) आंवला | (19) हरे | (27) चुन्नी | (35) प्लाई बोर्ड |
| (4) xxx | (12) सेवई | (20) बहेरा | (28) चोकर | (36) प्लाई पत्ती |
| (5) खल्ली | (13) बीड़ी का पत्ता | (21) मधु | (29) xxx | (37) कोर |
| (6) पाट-बीज | (14) बांस | (22) ताड़ी | (30) चाय पत्ती | (38) फाली |
| (7) मेस्ता बीज | (15) लकड़ी | (23) गोंद | (31) राइस ब्रान ऑयल | (39) मिनियर |
| (8) सफगोल | (16) धूप लकड़ी | (24) कत्था | (32) कार्ड बोर्ड | (40) मेंहदी |

महत्वपूर्ण टिप्पणी

यह परिवर्तित प्रति मूल पुस्तक मल्होत्रा ब्रदर्स, फ्रेजर रोड, पटना द्वारा प्रकाशित "बिहार कृषि उपज बाजार मैनुअल-2005 संस्करण" के आधार पर तैयार की गई है तथा अनुसूची में केवल उन्हीं कृषि उपजों को शामिल रखा गया है जो 14 नवम्बर 2000 तक तत्कालीन संयुक्त बिहार में शामिल थे यद्यपि पुस्तक में उक्त तिथि के बाद जोड़ी गई उपज भी शामिल हैं जिन्हें झारखण्ड अधिनियम के रूप में हटा दिया गया है क्योंकि ये झारखण्ड अधिनियम के अर्थ में निरर्थक हैं तथा अनुसूची में शामिल रहने के कारण न केवल धम की स्थिति थी तथा उनके शामिल रहते अनुसूची झारखण्ड के लिए वैध रूप में नहीं थी

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा "झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000" का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1. संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटेड अंश।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

फारम 'क'
[धारा 27क (2) द्रष्टव्य]
“अधकट्टी”

- | | |
|---|---------------------|
| 1. बाजार समिति- | 2. तारीख- |
| 3. व्यापारी का नाम- | 4. लाइसेन्स संख्या- |
| 5. पिछली बार बाजार फीस चुकायी जाने की तारीख और रसीद संख्या- | |

संव्यवहार की तारीख	कृषि उपज का नाम	बिक्रेता का नाम	वजन दर मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है ? यदि नहीं तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की रकम	खरीददार का नाम	वजन दर मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है ? यदि नहीं तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की रकम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल										

व्यापारी का हस्ताक्षर

फारम 'ख'
[धारा 27क (3) द्रष्टव्य]
कृषि उपज के कय-बिकय का रजिस्टर

बाजार समिति.....

वर्ष.....

मास.....

तारीख	खरीदी गई कृषि उपज का नाम	व्यापारी का नाम और लाइसेन्स संख्या	परिमाण	दर	कृषि उपज का मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है ? यदि नहीं तो क्यों ?	देय फीस	वसूली गई फीस	दी गई रसीद संख्या और तारीख	वसूली जानेवाली शेष रकम	शेष फीस वसूली की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

झारखण्ड सरकार के विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 द्वारा “झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000” का संशोधित रूप में अधिसूचना के अनुसार परिवर्तित प्रारूप।

1.संशोधन 2007 से प्रभावी परिवर्तन- मोटे (bold) एवं अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में 2- अधिसूचना संख्या एल0जी0-1/2006-77/लेज0, दिनांक 5 दिसम्बर,2008 के अनुसार प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के अनुरूप - सफेद हाइलाइटड अंश।

फारम 'ग'
[धारा 27क (5) और (7) द्रष्टव्य]

फीस निर्धारण की सूचना

कृषि उत्पादन बाजार समिति..... का कार्यालय

सेवा में,

मेसर्स.....,
व्यापारी लाइसेन्स संख्या.....
पता.....
.....।

चूँकि,

(क) आपने फारम 'क' मेंसे..... अवधि की विवरणी/शुद्ध विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) आपनेसे..... अवधि की विवरणी प्रस्तुत करने में अभ्यासतः व्यतिक्रम किया है और बाजार समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि आप ऊपर उल्लिखित अवधि की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में जान बूझकर असफल रहे हैं;

और चूँकि,

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 27-क (7) के अधीन ऊपर उल्लिखित अवधि का निर्धारण आवश्यक प्रतीत होता है;

इसलिए इसके द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आप ता 0को.....बजे.....स्थान पर स्वयं या प्राधिकृत एजेंट के मार्फत हाजिर हों और ऐसे निर्धारण के प्रयोजनार्थ ऐसी आपत्ति जिसे आप करना चाहते हों और ऐसे साक्ष्य जिसे आप उसके समर्थन में पेश करना चाहें, उक्त समय और स्थान पर निम्नलिखित लेखे और दस्तावेज पेश करें या कराएँ और यह कारण बतायें कि निर्धारण के आधार पर उद्ग्रहणीय बाजार फीस के अलावा, आप पर उप-धारा (8) के अधीन विहित शास्त्र क्यों नहीं अधिरोपित की जाय।

आपके द्वारा इस सूचना के अनुपालन में असफल रहने पर पर बाजार समिति अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि से धारा 27-क की उप-धारा (7) के अधीन उद्ग्रहणीय बाजार फीस की रकम निर्धारित करने की कार्यवाही करेगी।

दिनांक.....

सचिव,
बाजार समिति.....।

पेश किए जाने वाले लेखे और दस्तावेज

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000
(यथा संशोधित 2007)

फारम 'घ'
[धारा '27-क की उपधारा (10) द्रष्टव्य]
मांग नोटिस

बाजार समिति.....

संख्या.....

तारीख.....

सेवा में,

मेसर्स.....
लाइसेन्स संख्या.....
पता.....
.....।

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि बाजार फीस और शास्ति आदि के उद्ग्रहण के लियेसेअवधि में आपकी खरीद/बिक्री का निर्धारण किया गया है, जो निम्नलिखित है-

(क) की गई खरीद/बिक्री का निर्धारित मूल्य
(ख) प्रभार्य बाजार फीस
(ग) पहले चुकायी गई बाजार फीस की कटौती; यदि हो
(घ) शुद्ध देय (ख)-(ग).....
(ङ) शास्ति.....
(च) कुल (ङ)+(ङ).....

आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप तारीख को या उसके पहले बाजार समिति को स्थान पर स्थित उसके कार्यालय को रु0 की राशि चुका दें। इसमें असफल रहने पर आपसे उक्त राशि लोक-मांग के रूप में वसूली जायेगी।

सचिव
बाजार समिति.....